भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन गठित)

(Constituted under I.M.C.C. Act, 1970)

वार्षिक प्रतिवेदन और परीक्षित लेखा

(1991-92)

Annual Report and Audited Accounts

(1991-92)

1ई/6,स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली- 110055

1E/6, Swami Ramtirth Nagar, New Delhi-110055

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

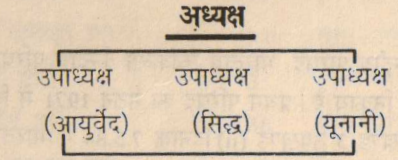

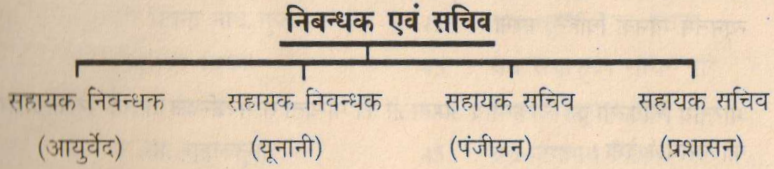

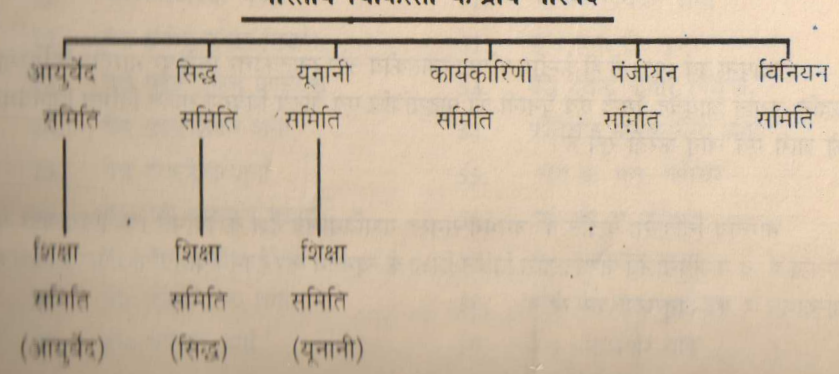

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

नई दिल्ली - 110 055
वर्ष 1991-92 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है। प्रथम परिषद का गठन 1971 में किया गया था। भारत के असाधारण राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 7.5.84 में भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा परिषद का पुनर्गठन 1984 में किया गया था।

केन्द्रीय परिषद के प्रमुख प्रयोजन निम्न हैं :—

(i) भारत चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।

(ii) भारतीय चिकित्सा की चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।

(iii) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।

(iv) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यास को विनियमित करना और चिकित्साभ्यासियों के आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्यविधि एवं पाठ्य विवरण सहित विभिन्न विनियमों को जारी एवं लागू करती रही है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लगभग समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। ये महाविद्यालय परिषद द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर जिनमें पाठ्यविधि पाठ्य विवरण सम्मिलित है का अनुसरण कर रहे हैं।

केन्द्रीय परिषद के निम्न सदस्य हैं : —

आयुर्वेद

1. डा० डी. राधाकृष्ण मूर्ति
2. डा० पी. वी. शनकोपाचार्य
3. डा० सुकुमार भट्टाचार्जी
4. डा० देवव्रत नारायण सिंह
5. डा० महेश्वर पाण्डे
6. डा० इन्द्रमोहन झा
7. डा० अलख नारायण सिंह
8. डा० जनार्दन एन. दवे
9. डा० दिनेश आर. पटेल
10. डा० कृष्ण चन्द्र शर्मा
11. डा० गुलशन राय शर्मा
12. कविराज भूपेन्द्र नाथ गुप्त
13. वैद्य गौरीशंकर द्विवेदी
14. वैद्य पंचैया होशमठ
15. डा० ए. सी. राहुलकुमार
16. डा० के. माधवन नायर
17. वैद्य पं. महेशदत्त शर्मा शास्त्री
18. डा० प्रसन्न कुमार जैन
19. वैद्य हरिकृष्ण एस. जोशी
20. डा० एस. आई. नागराल
21. डा० स्वप्नेश्वर पण्डा
22. वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी
23. वैद्य मदन मोहन पुष्करणा
24. वैद्य उदय शंकर शर्मा
25. वैद्य गोकुलेन्द्र शर्मा
26. डा० वी नारायण स्वामी
27. डा० राम प्रकाश गुप्ता
28. डा० हुकम चन्द शर्मा
29. डा० प्रेमदत्त शर्मा
30. डा० आनन्द राय
31. डा० पी. शेषी रेड्डी
32. वैद्य के. के. पाण्डे
33. डा० कनकसिंह खीमा भाई झाला
34. वैद्य श्यामलाल वशिष्ठ (शास्त्री)
35. डा० एन. लिंगराजना
36. डा० एस. वी. सावदी
37. डा० के. पी. श्री कुमारी अम्मा
38. डा० सच्चिदानन्द उपाध्याय
39. डा० ए. के. दुलानी
40. वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छांगाणी
41. वैद्य श्रीकृष्ण गोविन्द फड़के
42. डा० कृष्ण भट्ट कंतजा
43. वैद्य राधाकृष्ण शेखर वारे
44. वैद्य शिवकुमार मिश्र
45. वैद्य जगन्नाथ मिश्र
46. डा० पी. के. देवनाथ
47. प्रो० आर. सी. चतुर्वेदी
48. वैद्य हरिनारायण स्वामी
49. प्रो० वी. जे. ठक्कर
50. डा० रमेश मिश्र
51. आचार्य प्रियव्रत शर्मा
52. डा० एस. टी. गूजर
53. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
54. कविराज नानक चन्द शर्मा
55. वैद्य के. एस. वारियर
56. डा० बी. ए. हीरेमठ
57. डा० सत्यपाल गुप्ता
58. डा० डी. एल. नारायण
59. वैद्य चन्द्रशेखर गौड़
60. डा० पी. सी. भट्टाचार्य

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

नई दिल्ली - 110 055
वर्ष 1991-92 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है। प्रथम परिषद का गठन 1971 में किया गया था। भारत के असाधारण राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 7.5.84 में भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा परिषद का पुनर्गठन 1984 में किया गया था।

केन्द्रीय परिषद के प्रमुख प्रयोजन निम्न हैं :–

(i) भारत चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।

(ii) भारतीय चिकित्सा की चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।

(iii) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।

(iv) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यास को विनियमित करना और चिकित्साभ्यासियों के आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्यविधि एवं पाठ्य विवरण सहित विभिन्न विनियमों को जारी एवं लागू करती रही है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लगभग समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। ये महाविद्यालय परिषद द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर जिनमें पाठ्यविधि पाठ्य विवरण सम्मिलित है का अनुसरण कर रहे हैं।

परिषद की स्थापना

केन्द्रीय परिषद के निम्न सदस्य हैं : –

आयुर्वेद

1. डा० डी. राधाकृष्ण मूर्ति
2. डा० पी. वी. शनकोपाचार्य
3. डा० सुकुमार भट्टाचार्जी
4. डा० देवव्रत नारायण सिंह
5. डा० महेश्वर पाण्डे
6. डा० इन्द्रमोहन झा
7. डा० अलख नारायण सिंह
8. डा० जनार्दन एन. दवे
9. डा० दिनेश आर. पटेल
10. डा० कृष्ण चन्द्र शर्मा
11. डा० गुलशन राय शर्मा
12. कविराज भूपेन्द्र नाथ गुप्त
13. वैद्य गौरीशंकर द्विवेदी
14. वैद्य पंचैया होशमठ
15. डा० ए. सी. राहुलकुमार
16. डा० के. माधवन नायर
17. वैद्य पं. महेशदत्त शर्मा शास्त्री
18. डा० प्रसन्न कुमार जैन
19. वैद्य हरिकृष्ण एस. जोशी
20. डा० एस. आई. नागराल
21. डा० स्वप्नेश्वर पण्डा
22. वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी
23. वैद्य मदन मोहन पुष्करणा
24. वैद्य उदय शंकर शर्मा
25. वैद्य गोकुलेन्द्र शर्मा
26. डा० श्री नारायण स्वामी
27. डा० राम प्रकाश गुप्ता
28. डा० हुकम चन्द शर्मा
29. डा० प्रेमदत्त शर्मा
31. डा० पी. शेषी रेड्डी
32. वैद्य के. के. पाण्डे
33. डा० कनकसिंह खीमा भाई झाला
34. वैद्य श्यामलाल वशिष्ट (शास्त्री)
35. डा० एन. लिक्कराजना
36. डा० एस. वी. सावदी
37. डा० के. पी. श्री कुमारी अम्मा
38. डा० सच्चिदानन्द उपाध्याय
39. डा० ए. के. दुलानी
40. वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छांगाणी
41. वैद्य श्रीकृष्ण गोविन्द फड़के
42. डा० कृष्ण भट्ट कंतजा
43. वैद्य राधाकृष्ण श्रीधर बारे
44. वैद्य शिवकुमार मिश्र
45. वैद्य जगन्नाथ मिश्र
46. डा० पी. के. देवनाथ
47. प्रो० आर. सी. चतुर्वेदी
48. वैद्य हरिनारायण स्वामी
49. प्रो० वी. जे. ठक्कर
50. डा० रमेश मिश्र
51. आचार्य प्रियव्रत शर्मा
52. डा० एस. टी. गूजर
53. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
54. कविराज नानक चन्द शर्मा
55. वैद्य के. एस. वारियर
56. डा० बी. ए. हीरेमठ
57. डा० सत्यपाल गुप्ता
58. डा० डी. एल. नारायण
59. वैद्य चन्द्रशेखर गौड़

सिद्ध

61. डा० जी० अन्नास्वामी
62. डा० सी. पी. रामनाथन
63. डा० के० पलानीचामी

यूनानी

64. हकीम मो० अशरफ करीम
65. डा० मदन सरूप गुप्ता
66. हकीम मोहम्मद उमर
67. डा० धर्मचन्द
68. डा० दौलत राम भराज
69. डा० बन्सीलाल पण्डित
70. डा० अब्दुर्रहमान
71. हकीम अब्दुल मोबिन खान
72. हकीम वेद प्रकाश शर्मा
73. हकीम मो० इकबाल खान
74. प्रो० हकीम सैय्यद खलीफथ्थुल्लाह
75. डा० एम. टी. खान
76. हकीम मो० अहमद लारी
77. डा० सैय्यद शाजी हैदर
78. डा० एस. के. खादरी
79. प्रो० हकीम मो० तैय्यब
80. हकीम एम. ए. रज्जाक
81. हकीम अब्दुल हमीद
82. हकीम फैजान अहमद
83. हकीम फैयाज आलम
84. डा० जे. डी. सन्दरवाले

पदाधिकारी

परिषद के निम्न पदाधिकारी हैं :—

1.	प्रो० हकीम सैय्यद खलीफथ्थुल्लाह	—	अध्यक्ष
2.	वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छांगाणी	—	उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)
3.	हकीम एम. ए० रज्ज़ाक	—	उपाध्यक्ष (यूनानी)
4.	डा० एस. आई नागराल	—	सभापति, शिक्षा समिति (आयुर्वेद)
5.	प्रो० हकीम मोहम्मद तैय्यब	—	सभापति, शिक्षा समिति (यूनानी)
6.	डा० प्रसन्न कुमार जैन	—	सभापति, पंजीयन समिति
7.	वैद्य पं० महेशदत्त शर्मा शास्त्री	—	सभापति, विनियम समिति

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 9 (1) के अनुसार केन्द्रीय परिषद की निम्न मुख्य समितियां हैं :—

1. आयुर्वेद समिति
2. सिद्ध समिति
3. यूनानी समिति

उपर्युक्त समितियां भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन निर्वाचित और खण्ड (ग) के अधीन मनोनीत आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त हैं। धारा (3) की उपधारा (3) के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के उपाध्यक्ष क्रमशः ऊपर संदर्भित समितियों के सभापति हैं।

ऐसे सामान्य या विशिष्ट निर्देशों जो समय-समय पर केन्द्रीय परिषद देती है प्रत्येक समिति आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति जैसा भी प्रकरण हो से सम्बंधित किसी भी विषय को केन्द्रीय परिषद की सक्षमता में करने के लिए समर्थ है।

केन्द्रीय परिषद ने विभिन्न कार्यों को करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 की धारा 10 के अधीन निम्न समितियों का भी गठन किया।

कार्यकारिणी समिति

अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचे में केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप परिषद के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सामान्य) विनियम 1976 की संख्या 5 के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया था। समिति भारतीय चिकित्सा की तीनों पद्धतियों अर्थात् आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी से प्रतिनिधित्व की जाती है।

कार्यकारिणी समिति के निम्न सदस्य हैं :—

सभापति 1. प्रो० हकीम सय्यद खलीफथ्थुल्लाह (अध्यक्ष)

सदस्य 2. वैद्य शिवकरण शर्मा छांगाणी (उपाध्यक्ष - आयुर्वेद)
3. हकीम एम. ए. रज्ज़ाक (उपाध्यक्ष - यूनानी)
4. डा० एस. टी. गूजर
5. वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी
6. डा० रामप्रकाश गुप्ता
7. डा० के. माधवन नायर
8. प्रो० हकीम मो. तैय्यब
9. हकीम वेद प्रकाश शर्मा
10. डा० के० पलानीचामी

विनियम समिति

समय - समय पर यथा आवश्यक केन्द्रीय परिषद के विभिन्न विनियमों को बनाने तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए परिषद द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अधीन विनियम समिति का गठन किया गया।

विनियम समिति के निम्न सदस्य हैं

सभापति 1. वैद्य पं० महेश दत्त शर्मा शास्त्री

सदस्य 2. वैद्य मदन मोहन पुष्करणा
3. वैद्य हरिनारायण स्वामी

4. डा० स्वप्नेश्वर पण्डा
5. वैद्य पंचैया होशगट
6. डा० जनार्दन एन. दवे
7. डा० पी. वी. शतकोपाचार्य
8. डा० महेश्वर पाण्डे
9. डा० गुलशन राय शर्मा
10. डा० डी. राधाकृष्ण मूर्ति
11. डा० जे. डी. सन्दरवाले
12. डा० चन्नीलाल पण्डित
13. डा० अब्दुर्रहमान
14. डा० धर्मचन्द

पंजीयन समिति

परिषद ने विभिन्न चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में उनका समावेश करने सम्बन्धी मामलों को देखने तथा इस विषय में अनुशंसाएं करने के लिए पंजीयन समिति का गठन किया। पंजीयन से सम्बन्धित विषयों पर विचार करना भी इस समिति के अधिकार में है।

पंजीयन समिति के निम्न सदस्य हैं :—

सभापति 1. डा० प्रसन्न कुमार जैन

सदस्य 2. प्रो० आर. सी. चतुर्वेदी
3. डा० कृष्ण चन्द्र शर्मा
4. डा० हरिकृष्ण एस. जोशी
5. डा० पी. के. देवनाथ
6. डा० प्रेमदत्त शर्मा
7. डा० ए. सी. राहुल कुमार
8. डा० डी. आर. पटेल
9. डा० वी. ए. हीरेमठ
10. डा० रामप्रकाश गुप्ता
11. डा० इन्द्र मोहन झा
12. डा० मदन सरूप गुप्ता
13. डा० एस. डी. खान
14. हकीम सी. उमर
15. डा० दौलतराम भराड़
16. हकीम फ़ज़ान अहमद

शिक्षा समितियां (आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी)

शिक्षा समितियां आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्यों को करने में सक्षम हैं। आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी शिक्षा समिति के निम्न सदस्य हैं :—

आयुर्वेद

सभापति 1. डा० एस. आई. नागराल

सदस्य 2. वैद्य पं० शिवकरण शर्मा लांगाणी (उपाध्यक्ष आयुर्वेद)
3. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
4. कविराज नानक चन्द शर्मा
5. डा० रामप्रकाश गुप्ता
6. डा० आनन्द राय
7. डा० सत्यपाल गुप्ता
8. वैद्य एस. जी. फड़के
9. डा० हुकम चन्द शर्मा
10. वैद्य शिवकुमार मिश्र
11. वैद्य जगन्नाथ मिश्र
12. प्रो० प्रियव्रत शर्मा
13. डा० रमेश मिश्र
14. कविराज वी. एन. गुप्त
15 डा० वी नारायण स्वामी

सिद्ध

सदस्य 1. डा० के० पलानीचामी
2. डा० जी० अन्नास्वामी

यूनानी

सभापति 1. हकीम मोहम्मद तय्यब

सदस्य 2. हकीम एस. ए. रज्जाक (उपाध्यक्ष यूनानी)
3. हकीम सय्यद शाजी हैदर

5. हकीम अब्दुल मोमिन खान

6. हकीम अब्दुल हमीद

7. हकीम फैयाज आलम

8. हकीम एस. के. खादरी

9. हकीम मो. इकबाल खान

10. हकीम मोहम्मद अहमद तारी

11. डा० मदन सरूप गुप्ता

वर्ष 1991-92 के दौरान निम्न बैठकें आयोजित की गईं :–

1.	केन्द्रीय परिषद्	–	एक
2.	आयुर्वेद समिति	–	एक
3.	सिद्ध समिति	–	एक
4.	यूनानी समिति	–	एक
5.	कार्यकारिणी समिति	–	तीन
6.	शिक्षा समिति (आयुर्वेद)	–	एक
7.	शिक्षा समिति (यूनानी)	–	एक
8.	विनियम समिति	–	एक
9.	पंजीयन समिति	–	एक
10.	समस्त राज्यों के स्वास्थ्य सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति के निदेशक राज्य मंडलों के अध्यक्ष और पंजीयक, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के पदाधिकारी और सदस्यों की आंचलिक बैठक।	–	दो

केन्द्रीय परिषद् की वार्षिक बैठक नई दिल्ली में 21 और 22 फरवरी, 1991 को सम्पन्न हुई। केन्द्रीय परिषद ने वर्ष के दौरान सम्पन्न विभिन्न समितियों की बैठकों के कार्यवृत्तों को दृढ़ किया। केन्द्रीय परिषद ने निम्न अनुशंसाएं की –

आयुर्वेद

केन्द्रीय परिषद ने संस्कृत के शिक्षक के लिए निम्न न्यूनतम अर्हताएं निर्णीत की :–

विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा भारतीय चिकित्सा के विधिक संकाय /परीक्षा निकाय द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अधीन यथामान्य आयुर्वेद की अर्हता अथवा, समकक्ष, सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में व्याकरण / साहित्य / दर्शन में शास्त्री अथवा उसके समकक्ष

अथवा

संस्कृत में एम० ए० अथवा इसके समकक्ष अर्हता।

आगे कहा गया कि एम. ए. संस्कृत अर्हताधारी व्यक्ति जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में सम्मिलित आयुर्वेद की अर्हता का धारक नहीं है को केडर के अधीन नहीं माना जाएगा।

केन्द्रीय परिषद ने अंकित किया कि बिहार विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के संचालन में अनेक अनियमितताएं हैं। केन्द्रीय परिषद द्वारा बार-बार पत्र लिखे जाने और चेतावनियां देने पर भी ये विश्वविद्यालय और राज्य सरकार विनियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस विषय पर केन्द्रीय परिषद द्वारा 21 और 22 फरवरी, 1991 को सम्पन्न बैठक में भी विचार किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि समस्त राज्य सरकारों और भारतीय चिकित्सा पद्धति के निदेशकों को न्यूनतम आवश्यकताएं पूरा करने और भारतीय चिकित्सा पद्धति की संस्थाओं में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए एक कड़ा पत्र भेजा जाए।

यह निर्णय लिया गया कि परिषद् के पदाधिकारियों की एक समिति राज्य के उच्च अधिकारियों से मिले और समस्याओं पर विमर्श करे। तदनुसार सचिव, बिहार सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अनुरोध किया गया था कि समस्याओं के समाधान हेतु परिषद् के पदाधिकारियों से बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एवं अन्य सक्षम अधिकारियों के साथ आपसी विमर्श हेतु सुविधाजनक तिथि और समय निश्चित करें।

केन्द्रीय परिषद् ने आगे बिहार सरकार और विश्वविद्यालयों द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के निर्देशों का अनुपालन न करने को अंकित किया। सम्बन्धित प्राधिकारियों को बार-बार पत्र लिखने और निर्देश देने पर भी कोई उत्तर नहीं आ रहा है। अतः यह निर्णय लिया गया कि आयुर्वेद के विकास के हित में और आयुर्वेद की शिक्षा में स्तर के अनुरक्षण हेतु उपाध्यक्ष (आयुर्वेद), सभापति, शिक्षा समिति (आयुर्वेद) डा० सत्यपाल गुप्ता और डा० रामप्रकाश गुप्ता की एक समिति सचिव, बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से सम्पर्क स्थापित करे और उन्हें नियमों और विनियमों के उल्लंघन के बारे में विस्तार से बतलाए। बिहार में आयुर्वेद की शिक्षा का समाधानात्मक प्रभावी हल ढूंढने के लिए प्रतिनिधि मंडल में डा० देवव्रत नारायण सिंह को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भी इस प्रकरण को विस्तार से बतलाया जाय और उनसे अनुरोध किया जाय कि वे बिहार सरकार के प्राधिकारियों के साथ मामला उठाए।

राज्य सरकार और बिहार के विश्वविद्यालयों को उन आयुर्वेद महाविद्यालयों जिनमें गत चार वर्षों से प्रतिबन्ध लगा हुआ है में प्रवेश बन्द करने के लिए शीघ्र एक कड़ा पत्र लिखने का भी निर्णय लिया गया।

आगे यह निर्णय लिया गया कि यदि सरकार के प्राधिकारियों से मिलने के कोई सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो बिहार विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अर्हता की मान्यता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 22 के अधीन निरस्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय।

3. ए. एल. एन. राव स्मृति आयुर्वेद महाविद्यालय, कोप्पा को सत्र 1991-92 के लिए आयुर्वेद के स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति परिदर्शन प्रतिवेदन में इंगित कमियों को पूरा करने की शर्त पर दी गई।

यह भी निर्णय लिया गया कि वास्तविक जानकारी मंगवाई जाय और न्यूनतम आवश्यकताओं के प्रकाश में उनकी पुनरीक्षा की जाय। यदि आवश्यकता होतो तुरन्त अध्ययन किया जाना चाहिए। जब तक यह पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती जून 1992 के आगामी सत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

4. केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद महाविद्यालय, सायन, बम्बई के संहिता और द्रव्यगुण विभागों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति देने हेतु किए गए अनुरोध पर विचार किया। निर्णय लिया गया कि संस्था में उपलब्ध तथ्यों और अन्य अपेक्षाओं सहित शिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता की जांच करने हेतु सँस्था का परिदर्शन करवाया जाय। तब तक उन्हें अनुमति न दी जाय।

5. केन्द्रीय परिषद ने देखा कि एस. वी. आयुर्वेद महाविद्यालय, तिरूपति शिक्षण, गैर-शिक्षण और सम चिकित्सीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में शर्तें पूरी नहीं करता।

यह निर्णय लिया गया कि जब तक कमियां / त्रुटियां दूर नहीं की जाती उन्हें आगे प्रवेश की अनुमति न दी जाय।

केन्द्रीय परिषद वैद्य के. के. पाण्डे के सुझाव से सहमत थी कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की अनुसूची में अर्हता के साथ महाविद्यालय के नाम का भी उल्लेख होना चाहिए। निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जाय।

आयुर्वेद महाविद्यालय, नासिक में शल्यतंत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि कार्मिक पद्धति और सभी सुविधाएं तथा पढ़ाने और प्रशिक्षण हेतु सभी उपकरण दो वर्ष के भीतर इस विभाग में उपलब्ध होने चाहिए।

केन्द्रीय परिषद के ध्यान में लाया गया कि नवीन विनियमों के अन्तर्गत सदस्यों के नामकरण प्रोफेसर, रीडर, वरिष्ठ लैक्चरर कर दिया गया है जो भारत में किसी भी चिकित्सा शिक्षा के शैक्षणिक वर्ग से समानता नहीं रखता और चिकित्सा विभाग से समानता न होने के कारण अकेला पड़ जाता है। अतः ये संज्ञाएं पूर्ववत् ही प्रोफेसर, रीडर लैक्चरर रखी जावें ताकि समय - समय पर शासन से स्वीकृति लेने में सुविधा हो अन्यथा यह विभाग बजाय चिकित्सा शिक्षा के सामान्य शिक्षा में चला जाएगा।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि फिलहाल नियमों और विनियमों में विनिर्दिष्ट कार्मिक पद्धति पर ही दृढ़ रहना चाहिए। फिर भी कुछ संस्थाओं में प्रचलित नामावलि, यदि समान हो तो उन्हें बनाए रखने की अनुमति दी जाय।

केन्द्रीय परिषद ने गुरूनानक देव विश्वविद्यालय से सम्बद्ध दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय

जालन्धर के द्वारा विनियमों का उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र के ब्योरे पर विचार किया और निर्णय लिया कि वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी, डा० हुक्म चन्द शर्मा और सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की एक समिति तत्काल अध्ययन करने हेतु महाविद्यालय का परिदर्शन करे और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मिले। संस्था का विस्तृत प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जाय।

वैद्य हरिनारायण स्वामी के द्वारा आयुर्वेद विश्वभारती, सरदार शहर में शिक्षण सुविधा की कमी के सम्बन्ध में केन्द्रीय परिषद को सूचना दी गई। यह निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु एक कड़ा पत्र लिखा जाय।

यह निर्णय लिया गया कि कार्यालय द्वारा वैद्य के. के. पाण्डे के परामर्श से बनाए गए प्रपत्र में प्रत्येक संस्था से विस्तृत सूचना कार्यालय के अभिलेख के लिए मंगवाई जाय।

केन्द्रीय परिषद ने सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को सम्बोधित परिषद के पत्रों के बावजूद महाराष्ट्र राज्य में नए महाविद्यालय प्रारम्भ करने की निरन्तर प्रक्रिया को गम्भीरता से अंकित किया। महाराष्ट्र सरकार नए महाविद्यालयों के सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों और निर्देशों का लगातार उल्लंघन कर रही है। अतः यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को महाराष्ट्र के राज्यपाल के ध्यान में लाया जाय और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाय।

केन्द्रीय परिषद ने संकल्प लिया कि महाविद्यालय को आने वाले वर्ष के लिए निरन्तर रहने की स्वीकृति न दी जाय जब तक परिदर्शन प्रतिवेदन अनुसार कमियां पूर्ण नहीं हो जाती, एवं अनुपालन प्रतिवेदन की पुष्टि नहीं हो जाती।

केन्द्रीय परिषद् ने संकल्प लिया कि नए महाविद्यालयों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की पूर्वानुमति के बिना आगे जारी रहने की अनुमति न दी जाय भले ही विश्वविद्यालय और राज्य सरकार उन्हें अनुमति दे दें।

केन्द्रीय परिषद ने संकल्प लिया कि स्नातकीय पाठ्यक्रम की पूरी मान्यता के पश्चात् ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति दी जाय।

केन्द्रीय परिषद के द्वारा विहित विनियमों के अनुरूप स्नातकीय / स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम स्तरों एवं अपेक्षाओं के निर्धारण हेतु वर्ष के दौरान निम्न संस्थाओं / आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया : —

क्रम संख्या	महाविद्यालयों के नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय / स्नातकोत्तर
	पूना विश्वविद्यालय		
1.	आयुर्वेद महाविद्यालय, नासिक।	29-7-91	स्नातकोत्तर
2.	आयुर्वेद महाविद्यालय, धुले।	5-10-91	स्नातकीय

आगे विमर्श हुआ कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रारम्भिक विषयों के सम्बन्ध में पाठ्य विवरण को रूपरेखा प्रदान की जाय। अतः यह निर्णय लिया गया कि पाठ्यविवरण बनाने के लिए और अन्य संगत विषयों, यदि कोई हों, के लिए भी मामला 20.2.91 को पहले से ही गठित उप-समिति को सौंप दिया जाय।

केन्द्रीय परिषद् ने जामिया तिब्बिया देवबनद के परिदर्शन प्रतिवेदन पर विचार किया और निर्णय लिया कि जामिया तिब्बिया देवबन्द में उपलब्ध न्यूनतम स्तर को ध्यान में रखते हुए अगले दो वर्ष तक परिषद् द्वारा विहित कामिले-तिब्ब-ओ-जराहत एवं प्री तिब्ब पाठ्यक्रम को निरन्तर रखने की अनुमति दी जाय। दो वर्ष पश्चात् परिषद् द्वारा अनुशंसित अपेक्षाओं को पूर्ण करने एवं तथ्यों की जांच करने हेतु संस्थान का पुनः परिदर्शन किया जाय। शैक्षणिक वर्ष 1993-94 में प्रवेश अगले परिदर्शन के ऊपर ही आधारित होगा।

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि महाराष्ट्र सरकार चिकित्सा शिक्षा एवं औषध विभाग ने निम्न तीन नए यूनानी महाविद्यालय प्रारम्भ करने का प्रस्ताव प्रेषित किया –

1. अहमदिया यूनानी मेडीकल कॉलेज, अहमदनगर।
2. यूनानी तिब्बिया मेडीकल कालेज, नान्देड।
3. यूनानी मेडीकल कॉलेज एवं अस्पताल, परभणी।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के द्वारा विहित यूनानी तिब्ब में स्नातकीय शिक्षा प्रदान करने के लिए उपर्युक्त संस्थाओं में अस्पताल एवं उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का निर्धारण करने हेतु उपर्युक्त संस्थाओं का परिदर्शन किया गया।

केन्द्रीय परिषद ने परिदर्शन प्रतिवेदनों को अनुमोदित किया और निर्णय लिया कि महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया जाय कि उपर्युक्त संस्थाओं को दो वर्षों अर्थात् 1991-92 और 1992-93 के लिए यूनानी तिब्ब में स्नातकीय पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जाय। यूनानी तिब्ब में स्नातकीय शिक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय परिषद् के द्वारा विहित न्यूनतम मानदण्ड के अधीन उल्लिखित शर्तों और अन्य आवश्यकताओं को दो वर्षों में पूरा किया जाना चाहिए।

यह भी निर्णय लिया गया कि प्रारम्भिक दो वर्षों की समाप्ति पर दूसरा परिदर्शन करवाया जाय और परिदर्शन समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि संस्थाएं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संस्तुतियों का शिक्षण और प्रशिक्षण में पूरी तरह से अनुसरण कर रही है।

केन्द्रीय परिषद् के द्वारा विहित विनियमों के अनुरूप स्नातकीय शिक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम स्तरों और अपेक्षाओं के निर्धारण हेतु वर्ष के दौरान निम्न यूनानी संस्थाओं/ महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया : –

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर
	कानपुर विश्वविद्यालय		
1.	जामिया तिब्बिया, देवबन्द	5.6.91	स्नातकीय
2.	अहमदिया यूनानी मेडीकल कॉलेज अहमदनगर	26.7.91	"
	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय		
3.	यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय, नान्देड	27.7.91	स्नातकीय
4.	यूनानी मेडीकल कॉलेज और अस्पताल परभणी	28.7.91	"

सिद्ध

केन्द्रीय परिषद ने अंकित किया कि तमिलनाडु सरकार ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों और शर्तों को पूरा करने की शर्त पर सिद्ध मारूथुवा कलूरी और अस्पताल गुन्नीरे में अखिल थिरूविथनकोर सिद्ध वैद्य संगम में सिद्ध स्नातकीय पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति देने हेतु प्रस्ताव भेजा है। यह संकल्प लिया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के अनुमोदन के बिना अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

केन्द्रीय परिषद ने खेद के साथ अंकित किया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के वर्तमान स्नातकीय महाविद्यालयों को उन्नत और सामर्थ्यवान बनाने के कार्यक्रम के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के महाविद्यालयों को अनुदान देने के उद्देश्य से भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिद्ध चिकित्सा पद्धति के किसी भी महाविद्यालय को सूची में सम्मिलित नहीं किया है। अतः यह संस्तुत किया गया कि भविष्य में राजकीय सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, पलायम कोट्टै, एवं राजकीय सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, पलानी तमिलनाडु को उपकरण क्रय करने और अस्पताल के उद्देश्य से क्रमशः 10 लाख और 15 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाये।

केन्द्रीय परिषद ने अंकित किया कि तमिलनाडु भारतीय चिकित्सा मंडल सिद्ध के उत्तीर्ण स्नातकों को अस्थायी पंजीयन प्रमाणपत्र जारी कर रहा है परन्तु लम्बे समय के पश्चात् भी नियमित पंजीयन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता। इससे सिद्ध चिकित्सा के उत्तीर्ण स्नातकों के लिए कई कठिनाइयां बढ़ गई हैं। यह निर्णय लिया गया कि सिद्ध के उत्तीर्ण स्नातकों को अविलम्ब स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र दिए जाए।

केन्द्रीय परिषद ने भारत सरकार से अनुरोध करने का संकल्प लिया कि गत 2/3 वर्षों से सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारणों से परिषद में रिक्त पदों पर सिद्ध सदस्यों को नामजद किया जाय। इससे परिषद के पुनर्गठन तक परिषद में सिद्ध चिकित्सा के उचित विकास में सहायता मिलेगी।

सामान्य

केन्द्रीय परिषद ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उनके पत्रांक वी. 26013/3/92 - ए. ई. दिनांक 19.4.91 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) (क) के अधीन निर्वाचित सदस्यों के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन के सम्बन्ध में अग्रेषित अध्यक्ष अखिल भारतीय आयुर्वेद संगठन के पत्र के बिन्दुओं को अंकित किया और निर्णय लिया कि भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया जाय कि

(i) राज्य सरकारों से मतदाताओं की सूची को आद्यतन करने का अनुरोध किया जाए और

(ii) मत-पत्र पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने चाहिए।

केन्द्रीय परिषद ने भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के संगठनों की समस्याओं और कार्यक्रमों पर 20-21/11/90 को सम्पन्न कार्यशालाओं की अनुशंसाओं पर विमर्श किया और वास्तव में भारत सरकार के प्रयत्नों की सराहना की और अनुशंसाओं का समर्थन किया। यह निर्णय लिया गया कि विशेष अनुशंसाओं को लिया जाय और उन्हें उपयुक्त स्तर पर समाविष्ट किया जाय।

केन्द्रीय परिषद ने सरकार पर यह भी जोर दिया कि वे ऐसी विचार गोष्ठियां आवधिक विशेष तौर पर उन विषयों पर करवाएं जिन पर पहले विमर्श नहीं हुआ।

केन्द्रीय परिषद् ने उपकरण क्रय और अस्पताल के उद्देश्य के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के 12 महाविद्यालयों को दी गई अनुदान राशि की स्वीकृति हेतु भारत सरकार के प्रयत्नों की सराहना की और अनुभव किया कि इस योजना के अन्तर्गत अभी तक बहुत सीमित महाविद्यालय ही आवृत्त किए गए हैं। अतः परिषद ने भारत सरकार से अनुशंसा की कि चरणबद्ध रूप में अधिकतम संख्या में महाविद्यालयों को आवृत्त किया जाय। उन मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों को प्राथमिकता दी जाय जो ऐच्छिक संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं।

यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों को अनुदान राशि की स्वीकृति देने से पूर्व केन्द्रीय परिषद से परामर्श किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय परिषद् ने भारत सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया कि केन्द्र सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पद्धति पर जो चिकित्सा शिक्षा आयोग गठित किया जा रहा है, उसमें आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी पद्धति को भी सम्मिलित किया जाय।

केन्द्रीय परिषद् ने समस्त राज्य सरकारों से अनुरोध करने का निर्णय लिया कि वे अपने राज्यों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के विश्वविद्यालय की स्थापना करें।

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि केन्द्रीय परिषद द्वारा बार-बार अनुरोध करने के उपरान्त भी कुछ राज्यों ने अभी तक भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों के शिक्षक वर्ग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान स्वीकृत नहीं किए हैं।

यह निर्णय लिया गया कि जिन राज्यों में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू नहीं किए गए हैं, के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मुख्यमंत्री और उन राज्यों से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के सदस्यों को पूर्ण औचित्य सहित एक पत्र जारी किया जाय।

केन्द्रीय परिषद ने निर्णय लिया कि जिन राज्यों की सरकारों ने अभी तक भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्वतन्त्र निदेशालय स्थापित नहीं किए हैं को भारतीय चिकित्सा पद्धति का अलग निदेशालय स्थापित करने हेतु अनुरोध किया जाय।

केन्द्रीय परिषद ने 29 एवं 30 जून, 1991 को बंगलौर में सम्पन्न आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु दक्षिणी राज्यों और 15 एवं 16 नवम्बर, 1991 को बम्बई में सम्पन्न गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान पश्चिमी राज्यों की आंचलिक बैठकों की अनुशंसाओं को अंकित किया।

यह अंकित किया गया कि राज्य अधिनियमों में भारतीय चिकित्सा की मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं की अनुसूचियों को, भारत सरकार और केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी किए गए आवश्यक निर्देशों पर भी केन्द्रीय अधिनियम, के अनुरूप नहीं लाया गया है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा राज्य अधिनियमों में अनुभव की गई असंगतियों को आंचलिक बैठक के ध्यान में लाया गया और इन पर राज्यानुसार विमर्श हुआ।

आन्ध्र प्रदेश

बैठक को बतलाया गया कि आन्ध्र प्रदेश में विद्यमान दोनों अधिनियमों का एकीकरण किया जा रहा है और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र ही नया विधेयक पेश किया जायेगा। अनुभव के आधार पर और चिकित्साभ्यास कर रहे चिकित्सकों के लिए योग्यता परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर पंजीयन देने के वर्तमान प्रावधानों को नए विधेयक में से निकाल दिया जायेगा।

यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970की द्वितीय अनुसूची में टिप्पणी के कालम 4 में आन्ध्र आयुर्वेद परिषद विजयवाड़ा द्वारा प्रदत्त वैद्य विद्वान अर्हता के सम्मुख वर्ष लिखा जायेगा।

कर्नाटक

कर्नाटक राज्य अधिनियम की अनावश्यक धारा 2 (के) 20, 21, 22, 23 24, 25 34, 35 और 37 को समाप्त करने का संकल्प लिया गया। आगे यह संकल्प लियागया कि राज्य अधिनियम के प्रावधानों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुरूप लाने के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन किए जावें।

कर्नाटक राज्य मंडल में वर्ष 1981 तक नामावलिगत चिकित्साभ्यासियों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि इन नामावलिगत चिकित्साभ्यासियों की परीक्षा जो राज्य अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अनुमेय है, न ली जाय और उन्हें कर्नाटक राज्य में चिकित्साभ्यास करने हेतु पंजीयन दिया जाय। 902 नामावलिगत चिकित्साभ्यासियों (850 आयुर्वेद और 52 यूनानी) की सूची भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कार्यालय को भेजी जाय। कर्नाटक मंडल से अनुरोध किया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता के सिद्ध स्नातकों के पंजीयन का आवश्यक प्रावधान किया जाय।

केरल

केरल राज्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के विरोधाभास के सम्बन्ध में यह सूचित किया गया कि आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं और संशोधित विधेयक प्रक्रियाधीन है।

तमिलनाडु

राज्य के प्रतिनिधि अधिकारियों ने विद्यमान मंडलों का एकीकरण करना और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अनुरूप लाना स्वीकार किया। नया विधेयक प्रक्रियाधीन है।

गुजरात

यह ध्यान में लाया गया कि गुजरात चिकित्साभ्यासी अधिनियम, 1963 के प्रावधानों में कुछ असंगतियां है जिन्हें निकाला जाना चाहिए और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए। गुजरात चिकित्साभ्यासी अधिनियम 1963 की धारा 29 (1, 2 और 3) अर्हताओं की मान्यता और अनुसूचियों में संशोधन के लिए है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के लागू होने के पश्चात् भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की द्वितीय,तृतीय एवं चतुर्थ अनुसूचियों में सम्मिलित चिकित्सीय अर्हताएं सभी उद्देश्यों के लिए मान्य चिकित्सीय अर्हताएं हैं। इसलिए राज्य अधिनियम की धारा 29 को निकाल दिया जाय।

राज्य अधिनियम की धारा 2 (ओ) को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की धारा 2(एच) के अनुरूप संशोधित किया जाय।

राज्य अधिनियम की धारा 17(2) में योग्य और अयोग्य व्यक्तियों के पंजीयन का प्रावधान है। राज्य अधिनियम में से अयोग्य व्यक्तियों के पंजीयन के प्रावधान को समाप्त किया जाना चाहिए और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के प्रावधानों अनुरूप प्रावधान होने चाहिए।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 पर विमर्श के पश्चात् यह संकल्प लिया गया कि धारा 2, 25 और 37 के अनावश्यक धाराओं को राज्य अधिनियम से निकाल दिया जाना चाहिए और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए। यह भी संकल्प लिया गया कि राज्य अधिनियम में मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं की अनुसूचियों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनुसूचियों में सम्मिलित चिकित्सा अर्हताओं के अनुरूप लाया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र

यह देखा गया कि महाराष्ट्र चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1961 की धारा, 14, 26 से 29 और 31 भारतीय चिकित्सा में शिक्षा और शिक्षा के स्तर से सम्बन्धित हैं जबकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ही भारतीय चिकित्सा में अध्ययन पाठ्यक्रम निर्धारित करने, चिकित्सीय अर्हता को मान्यता देने / मान्यता वापस लेने और समस्त भारत में चिकित्सा महाविद्यालयों /संस्थाओं के परिदर्शन / निरीक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी है।

महाराष्ट्र चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) {I, II, III} में पंजीकृत चिकित्साभ्यासियों के वर्गीकरण का प्रावधान है। अतः यह संकल्प किया गया कि महाराष्ट्र चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1961 की धारा 14, 26 से 29 और 31 को समाप्त कर दिया जाय। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किए जायं। यह भी संकल्प लिया गया कि महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 37 जो ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्साभ्यास करने की स्वतन्त्रता प्रदान करती है, को भी निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं और पंजीयन के बिना ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्साभ्यास की स्वतन्त्रता

प्रदान करना केन्द्रीय अधिनियम की मूल भावना के विरूद्ध है।

आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्साभ्यासियों के लिए पृथक राज्य रजिस्टर के रख-रखाव का निर्णय लिया गया।

राजस्थान

विमर्श के पश्चात् राज्य अधिनियम में से धारा 14-39 और 47 के (1) एवं (3) के अनावश्यक खण्डों को निकालने और धारा 32, 36 और 38 के खण्डों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित करने का निर्णय लिया गया।

यह भी संकल्प लिया गया कि राज्य अधिनियम की मान्य चिकित्सीय अर्हताओं की अनुसूचियों को भी भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अनुसूचियों में सम्मिलित मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताओं के अनुरूप होना चाहिए।

यह ध्यान में लाया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 14 के दिनांक 15-8-71 से लागू होने के पश्चात् भारत में विश्वविद्यालय / बोर्ड अथवा अन्य चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम् 1970 की द्वितीय अनुसूची में समाविष्ट चिकित्सीय अर्हताएं ही मान्य चिकित्सा अर्हताएं हैं। इनमें से किसी भी अर्हता के धारक उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकारों और प्राधिकारों के पात्र हैं। ऐसी अर्हता जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं, किसी भी उद्देश्य हेतु मान्य नहीं है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में सम्मिलित मान्य चिकित्सीय अर्हताओं के धारक भारतीय चिकित्सा में चिकित्साभ्यास करने हेतु भारतीय चिकित्सा के किसी भी राज्य रजिस्टर में पंजीयन / नामांकन की पात्रता रखते हैं।

इस पर भी यह देखा गया है कि काफी संख्या में अयोग्य व्यक्ति जो किसी भी राज्य मंडल / परिषद् से पंजीकृत नहीं हैं, विभिन्न राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में भारतीय चिकित्सा में अनाधिकृत रूप से चिकित्साभ्यास कर रहे हैं। यह समस्या राज्य के प्राधिकारियों द्वारा समुचित जांच की कमी के कारण उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य मंडलों/ परिषदों द्वारा मान्य चिकित्सीय अर्हताओं में एकरूपता न होने के कारण यह समस्या द्विगुणित हो गई है। यह अंकित किया गया कि अपनी तरह की कुछ संस्थाएं अब भी भारतीय चिकित्सा में उपाधियां और चिकित्साभ्यास करने के लिए पंजीयन का प्रमाण-पत्र प्रदान कर रही है।

आंचलिक बैठकों ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों पर दण्डनीय अपराध घोषित करने जैसे प्रावधान के साथ जालसाजी विरोधी बिल प्रस्तुत करने के लिए जोर दिया। यह भी सुझाव दिया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को समस्त उपलब्ध प्रचार साधनों के माध्यम से शिक्षित करने, जागृत करने और जनमत बनाने के लिए अपने प्रयत्न तीव्र करने चाहिए।

अपंजीकृत /अयोग्य / चिकित्साभ्यासियों द्वारा भारतीय चिकित्सा में अनाधिकृत चिकित्साभ्यास को रोकने के लिए राज्य सरकारों, राज्य मंडलों / परिषदों को सामान्यतः जनहित में और विशेष तौर पर भारतीय चिकित्सा के योग्य चिकित्साभ्यासियों के लिए पूरी रूचि लेनी चाहिए।

सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया कि अनाधिकृत / अयोग्य व्यक्तियों द्वारा चिकित्साभ्यास को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कार्यप्रणाली तैयार की जाय और भारतीय चिकित्सा के राज्य मंडलों से परामर्श कर उस पर कार्रवाई की जाय।

यह देखा गया कि विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में से असंख्य कुकुरमुत्ता संस्थाएं शुल्क के रूप में बहुत बड़ी राशि लेकर उनके द्वारा प्रदत्त उपाधि / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में अपने विज्ञापनों के माध्यम से भोली-भाली जनता को आकर्षित करती हैं। केन्द्रीय परिषद् ने समाचार पत्रों के माध्यम से बार-बार जन-साधारण को ऐसी संस्थाओं से सावधान किया है। जन साधारण को यह भी सूचित किया गया कि भारतीय चिकित्सा के केवल वही महाविद्यालय प्रमाणिक हैं जो उस क्षेत्र के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया कि केवल उन्हीं महाविद्यालयों को चलने की अनुमति दी जानी चाहिए जिन्हें किसी विश्वविद्यालय / राज्य सरकार और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की मान्यता प्राप्त हो। अन्य कुकुरमुत्ता संस्थाओं को बन्द कर देना चाहिए।

यह भी निर्णय लिया गया कि नया महाविद्यालय आरम्भ करने हेतु परिषद् द्वारा मानक यदि सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा कड़ाई से लागू किए जाय एवं पालन किए जाय तो कुकुरमुत्ता महाविद्यालयों में वृद्धि नहीं होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को अपने राज्य में ऐसी संस्था के विरूद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि राज्य प्राधिकारी द्वारा समय पर यह कदम उठाया जाता है तो ऐसी संस्थाएं निरूत्साहित होंगी और कुकुरमुत्ता कॉलेजों की वृद्धि पर नियन्त्रण होगा एवं रोक लगेगी।

संयुक्त बैठकों ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन प्रतिपादित व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं आचार संहिता के अनुपालन की भावना को दोहराया और सर्वसम्मति से संकल्प किया कि राज्य मंडलों/ परिषदों को पंजीकृत चिकित्साभ्यासी को पंजीयन का प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व इन विनियमों में संलग्न प्रपत्र "क" में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्राप्त करना चाहिए और पूर्व में पंजीकृत चिकित्साभ्यासियों से हस्ताक्षरित ऐसा ही घोषणा पत्र प्राप्त करने की रूप-रेखा तैयार करनी चाहिए।

आगे सुझाव दिया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा (क) चिकित्सीय नैतिक शिक्षण को पर्याप्त महत्व देने हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति की समस्त मान्य संस्थाओं, महत्वपूर्ण स्थानों पर घोषणा-पत्र देने के लिए समस्त चिकित्सीय संस्थानों और भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों (ग) समस्त स्तरों पर चिकित्सीय नैतिक आचरण के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन आयोजित करने हेतु राज्य मंडल / परिषदों (घ) सम्भव प्रचार माध्यमों से प्रचार करने हेतु (ड़) पंजीयन के प्रमाण-पत्र के साथ व्यवसायिक आचरण शिष्टाचार एवं आचार संहिता की प्रति देने के लिए (च) चिकित्साभ्यासियों द्वारा निम्न स्तरीय समाचार-पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन प्रतिबन्धित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश जारी किए जावें।

संयुक्त बैठकों ने शिक्षा के न्यूनतम मानकों के क्रियान्वयन करने सम्बन्धी कार्यक्रम लागू करने की भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की नीति का समर्थन किया और सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि विहित मानदण्डों का अनुसरण नहीं करने वाली संस्थाओं को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिनियम 1970 की धारा 21 के अधीन सम्बन्धित स्वास्थ्य सचिवों, भारतीय चिकित्सा पद्धति के निदेशकों, और सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को सूचना देते हुए नोटिस दिया जाय और आगे जोर दिया जाय कि किसी भी स्थिति में किसी भी विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाय जब तक संस्था भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए विहित मानदण्डों एवं मानकों को पूरा नहीं करती है।

यह भी निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय परिषद् द्वारा अनुशंसित न्यूनत्तम आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को भारतीय चिकित्सा पद्धति के समस्त महाविद्यालयों द्वारा अपनाया जाय और उनका अनुसरण किया जाय ताकि समस्त भारत में शैक्षिक स्तर में एकरूपता को बनाया जा सके। राज्यों में भारतीय चिकित्सा के निदेशकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि अपेक्षित स्तर प्राप्त करने हेतु उनके राज्यों के महाविद्यालयों को पर्याप्त धन राशि उपलब्ध करवाई जाय। वास्तविक आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु राज्य निदेशक समय - समय पर भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा संचालित परिदर्शन के अतिरिक्त महाविद्यालयों का आवधिक निरीक्षण करवाने का प्रबन्ध करें।

यह विचार व्यक्त किया गया कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा आयुर्वेद / सिद्ध /यूनानी के विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा कार्यक्रम की अनुमति देने से पूर्व भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए।

भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का निर्माण एवं रख-रखाव केन्द्रीय परिषद् के मुख्य कार्यों में से एक है।

वर्ष 1986 तक का आसाम, हरियाणा, हिमाचल-प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र-प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उड़ीसा और कर्नाटक की भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार राज्यों का केन्द्रीय रजिस्टर भारत के राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जा चुका है।

केरल और उत्तर प्रदेश के राज्य रजिस्टर अभी तक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण सूचना के साथ प्राप्त नहीं हुए हैं। इस कारण इन दोनों राज्यों का केन्द्रीय रजिस्टर अभी तक तैयार नहीं हो सका है। केरल राज्य का राज्य रजिस्टर मार्च, 1992 को प्राप्त हुआ है। केरल के केन्द्रीय रजिस्टर को तैयार करने का कार्य जुलाई 1992 तक पूरा हो जायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य रजिस्टर अभी तक निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उत्तर प्रदेश का केन्द्रीय रजिस्टर तैयार करना सम्भव नहीं है।

केन्द्रीय परिषद् द्वारा पहले ही जनवरी, 1987 से मार्च, 1991 तक के भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर को तैयार करने से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय परिषद् के परामर्श पर भारतीय चिकित्सा पद्धति की चिकित्सीय अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की द्वितीय एवं चतुर्थ अनुसूची में समाविष्ट करने हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है। वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदत्त उनके सम्मुख उल्लिखित निम्न चिकित्सीय अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय एवं चतुर्थ अनुसूची में समाविष्ट किया गया:-

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	प्रदाय निकाय का नाम	अर्हता का नाम		वर्ष
1.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस.	1986 से 1992 तक।
2.	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस.	1985 से आगे।
3.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	आयुर्वेद वाचस्पति एम.डी. (आयुर्वेद) (काय चिकित्सा)		1981 से 1989 तक।
4.	भारतीयार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसन एण्ड सर्जरी) बी.ए.एम.एस.		1989 से 1993 तक।
5.	शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, जयपुर राज्य/राजस्थान सरकार, जयपुर	आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी।		
		आयुर्वेद शास्त्री		1872 से 1968 तक।
		आयुर्वेदाचार्य		1874 से 1970 तक।
		भिषग्वर		1936 से 1968 तक।
		भिषगाचार्य		1938 से 1970 तक।

चतुर्थ अनुसूची

1.	देशी चिकित्सा संस्थान, कोलम्बो, विश्वविद्यालय, श्रीलंका।	बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.ए.एम.एस.	1991 से आगे।
		बैचलर आफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.यू.एम.एस.	1991 से आगे।
2.	जाफना विश्वविद्यालय, श्रीलंका	बैचलर आफ सिद्ध मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.एस. एम.एस.	1989 से आगे।

केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित विभाग, शिक्षक वर्ग, छात्र-शैय्या अनुपात, प्रयोगशाला सुविधाएं, पुस्तकालय सुविधाएं, भवन, वनोषधि उद्यान, भैषज शाला, और आतुरालय सुविधाओं आदि से सम्बन्धित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं की उपलब्धता का निर्धारण करने के लिए परिषद् अपने परिदर्शकों के माध्यम से परिदर्शन द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों/ संस्थाओं के न्यूनतम स्तरों को बनाए रखती है।

प्रशासन और वित्त

केन्द्रीय परिषद् ने केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित विनियमों के अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों की शक्तियाँ और अधिकार के सम्बन्ध में प्रारूप विनियम को निम्नवत् अन्तिम रूप दिया :—

1. सदस्य परिषद् के कार्यकलाप आदि के संदर्भ में कार्यालय से पूर्व निर्धारण कर कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
2. सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समिति के सभापति व पंजीयक तथा सचिव को पत्र लिखकर अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सकेंगें।

3. सदस्य को उनके प्रदेश में परिषद् द्वारा संचालित की जा रही परिषद् के दायित्व सम्बन्धी कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा।
4. सदस्य, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों को पूरा करने में सक्रिय रहेंगे।
5. सदस्य को बैठक की कार्यसूची व कार्यवृत्त यथा समय कार्यालय द्वारा भेजी जायेगी।
6. सदस्य, परिषद् व समितियों की बैठकों की कार्यवाही में उपस्थित होंगे, भाग ले सकेंगे व अपना अभिमत व्यक्त कर सकेंगे।
7. सदस्य सभा की कार्यवाही संचालन में अध्यक्ष के सहयोगी रहेंगे।
8. सदस्य परिषद् द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अधिकार, कर्त्तव्य व सुविधा का उपयोग कर सकेंगे।
9. सदस्य अपने लैटर पैड पर अपने नाम के साथ परिषद् की सदस्यता व पदाधिकारी होने का उल्लेख कर सकेंगें।
10. सदस्य भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कार्यालय को सूचना देकर अपने राज्य के सभी आयुर्वेद यूनानी सिद्ध अध्ययन संस्थाओं के कार्यकलापों की जानकारी के लिए स्वेच्छापूर्वक जा सकते हैं व इस क्रम में अपनी टिप्पणी यदि चाहें तो परिषद् के सचिव को भेज सकते हैं।
11. सदस्य अपने राज्य के आयुर्वेद विकास / विस्तार सम्बन्धी कार्यों पर स्वेच्छा से अपना प्रतिवेदन परिषद् के समक्ष रख सकते हैं।
12. सदस्य अपने क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं व अस्पतालों के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव व विचार यदि चाहें तो केन्द्रीय परिषद के कार्यालय को भेज सकते हैं।
13. प्रान्तीय राज्य मंडलों आदि में केन्द्रीय परिषद का प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से परिषद् के सदस्यों को मनोनीत किए जाने का प्रावधान राज्य अधिनियमों में किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय परिषद् ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्णीत हिन्दी में टिप्पण / प्रारूप के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार देने के कार्यक्रम को निम्नवत अनुमोदित किया : —

प्रथम पुरस्कार	रु० 400/-
द्वितीय पुरस्कार	रु० 200/-
तृतीय पुरस्कार	रु० 150/-

केन्द्रीय परिषद ने दो निम्न श्रेणी लिपिकों (एक सामान्य और एक अनुसूचित) और एक अनुरेखक की नियुक्ति को अनुमोदित किया।

बजट के स्रोत

वर्ष 1991-92 के लिए परिषद् के द्वारा अनुमोदित और भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृत बजट

प्राक्कलन निम्न हैं :—

	गैर - योजना	योजना
1990-91 संशोधित प्राक्कलन (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	21.36 लाख	10.28 लाख
1990-91 का संशोधित प्राक्कलन (मंत्रालय द्वारा जारी किया गया)	15.50 लाख	8.20 लाख
1991-92 का बजट प्राक्कलन (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	28.80 लाख	10.30 लाख
1991-92 का बजट प्राक्कलन (मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत)	15.50 लाख	7.50 लाख

केन्द्रीय परिषद् एक लघु संगठन है तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सावधानी रखी जाती है कि विभिन्न संवर्गों के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया आरक्षण बनाए रखा जाए। केन्द्रीय परिषद् द्वारा 35 कर्मचारियों में से विभिन्न संवर्गों के लिए किया गया आरक्षण निम्नवत् है : —

अनुसूचित जाति	4
अनुसूचित जन जाति	2
विकलांग	2

भूतपूर्व सैनिक एक

कार्यालयः महा निदेशक लेखा परीक्षा,
केन्द्रीय राजस्व -I
नई दिल्ली - 110 002

सं० ओ. ए. डी IV/ एस. ए. आर. / सी.सी.आई.एम. / 92-93 दिनांक

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली

विषय: — वर्ष 1991-92 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूं।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियां, उस तिथि को दर्शाते हुए जब ये संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाये।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय

ह०/-

अनुलग्नक = यथोपरि

उप निदेशक लेखा परीक्षा
निरीक्षण-I

सं० ओ. ए. डी. 11/एस. ए. आर. / सी.सी.आई.एम. / 92-93/451 दिनांक 30.3.93

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र सहित सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली को उनके पत्र सं० 10-13/91 लेखा दिनांक 15.3.93 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित की जाती है। वह तिथि जिसको शासी निकाय द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे पर विचार किया गया है, संबन्धित दस्तावेजों सहित इस कार्यालय को सूचित किया जाए। प्रमाणित वार्षिक लेखे के हिन्दी रूपान्तर की पांच प्रतियां भी शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाए।

ह०

उप निदेशक लेखा परीक्षा (निरीक्षण II)

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र सहित श्री सरोप सिंह, प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट - ए. वी.) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली के मुख्यालय कार्यालय के पत्र सं० 30 रिपोर्ट (स्वा. नि०) / 32-93 दिनांक 2-3-93 के संदर्भ में अग्रेषित की जाती है।

मुख्यालय की टिप्पणियों / अभ्युक्तियों के उत्तरों से समाविष्ट विवरण संलग्न है।

यह नि० ले० प० के० रा० -1 के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नकः यथोपरि

ह०

उप निदेशक लेखा परीक्षा (निरीक्षण II)

वर्ष 1991-92 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1. परिचय

भारतीय चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करने, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण आदि और उससे सम्बन्धित अन्य विषयों के प्रयोजन से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन 1971 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की स्थापना की गई थी। परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन की जाती है। परिषद् को वित्त की पूर्ति मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से होती है। परिषद् को वर्ष 1991-92 के दौरान अनुदान राशि रु० 23.75 लाख 15.50 लाख रु० गैर योजना के अधीन और 8.25 लाख रु० योजना के अधीन प्राप्त हुई।

2. वार्षिक लेखा

2.1 लेखाओं का संशोधन

लेखा परीक्षा के परिणाम स्वरूप परिषद् के कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करने के लिए संशोधित लेखाओं में निम्न लेन देन में संशोधन किया गया।

मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा

संशोधन पूर्व लेखाओं के अनुसार			संशोधित लेखाओं के अनुसार	
	गैर योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
आय	-	-	9,228.00	19,960.00
तुलन - पत्र				
परिसम्पत्ति शून्य		19,960.00	9,228.00	19,960.00
दायित्व	-	19,960.00	-	-
	33,481.59	4,31,121.14	24,253.59	4,11,161.14

3. पेंशन एवं निवृत्ति उपदान योजना

परिवार पेंशन योजना युक्त पेंशन एवं निवृत्ति उपदान योजना परिषद् में अप्रैल 1983 से प्रारम्भ की गई थी। योजना की शर्तों के अनुसार पेंशन निधि परिषद् के पास पहले से ही उपलब्ध अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान और एतद्विध निधियों के निवेश पर उपार्जित ब्याज सहित निधियों से निर्मित किया जाना था और केन्द्र सरकार के द्वारा इसके संवर्धन के लिए कोई अतिरिक्त अनुदान निर्मित नहीं किया जाना था। परिषद् ने तथापि 1983-84 से 1991-92 के दौरान रु० 3.19 लाख

सं.ओ.ए. 11/एस.ए.आर. /सी.सी.आई.एम./92-93 दिनांक

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र सहित श्री सरोप सिंह, प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट - ए. बी.) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली के मुख्यालय कार्यालय के पत्र सं० 30 रिपोर्ट (स्वा. नि०) / 32-93 दिनांक 2-3-93 के संदर्भ में अग्रेषित की जाती है।

मुख्यालय की टिप्पणियों / अभ्युक्तियों के उत्तरों से समाविष्ट विवरण संलग्न है।

यह नि० ले० प० के० रा० -1 के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नकः यथोपरि

ह०

उप निदेशक लेखा परीक्षा (निरीक्षण II)

वर्ष 1991-92 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1. परिचय

भारतीय चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करने, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण आदि और उससे सम्बन्धित अन्य विषयों के प्रयोजन से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन 1971 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की स्थापना की गई थी। परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन की जाती है। परिषद् की वित्त की पूर्ति मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से होती है। परिषद् को वर्ष 1991-92 के दौरान अनुदान राशि रु० 23.75 लाख 15.50 लाख रु० गैर योजना के अधीन और 8.25 लाख रु० योजना के अधीन प्राप्त हुई।

2. वार्षिक लेखा

2.1 लेखाओं का संशोधन

लेखा परीक्षा के परिणाम स्वरूप परिषद् के कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करने के लिए संशोधित लेखाओं में निम्न लेन देन में संशोधन किया गया।

मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा

	संशोधन पूर्व लेखाओं के अनुसार		संशोधित लेखाओं के अनुसार	
	गैर योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
आय	-	-	9,228.00	19,960.00
तुलन - पत्र				
परिसम्पत्ति शून्य		19,960.00	9,228.00	19,960.00
दायित्व	-	19,960.00	-	-
	33,481.59	4,31,121.14	24,253.59	4,11,161.14

3. पैंशन एवं निवृत्ति उपदान योजना

परिवार पैंशन योजना युक्त पैंशन एवं निवृत्ति उपदान योजना परिषद् में अप्रैल 1983 से प्रारम्भ की गई थी। योजना की शर्तों के अनुसार पैंशन निधि परिषद् के पास पहले से ही उपलब्ध अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान और एतद्विध निधियों के निवेश पर उपार्जित ब्याज सहित निधियों से निर्मित किया जाना था और केन्द्र सरकार के द्वारा इसके संवर्धन के लिए कोई अतिरिक्त अनुदान निर्मुक्त नहीं किया जाना था। परिषद् ने तथापि 1983-84 से 1991-92 के दौरान रु० 3.19 लाख

के द्वारा निधि स्थानान्तरण को नियमित करने हेतु कोई विशिष्ट स्वीकृति जारी नहीं की गई। वर्ष 1983-84 से 1990-91 तक की अवधि के दौरान निधियों का अनियमित स्थानान्तरण पर वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में भी टिप्पणी की गई थी।

परिषद् ने दिसम्बर, 1992 में बतलाया कि रूपरेखा अनुमोदित करने और वर्ष 1983-84 से 1991-92 और आगे निधि के स्थानान्तरण को नियमित करने के लिए विशिष्ट स्वीकृति जारी करने हेतु नवम्बर, 1992 में मंत्रालय से अनुरोध किया गया था। परन्तु मंत्रालय से स्वीकृति अभी तक (जनवरी 1993) प्रतीक्षित थी।

4. केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव नहीं किया जाना

परिषद् को भारतीय चिकित्सा की एक केन्द्रीय पंजिका को रखना आवश्यक था जिसमें उन समस्त व्यक्तियों के नाम होने चाहिए जो भारतीय चिकित्सा की किसी राज्य पंजिका में नामांकित थे और जो कोई मान्य चिकित्सा अर्हता धारण करते थे। ऐसी पंजिका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थ में एक लोक दस्तावेज़ समझा जाना था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक प्रति के द्वारा प्रमाणित किया जाना था। अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रत्येक राज्य मंडल को भारतीय चिकित्सा की राज्य पंजिका की तीन मुद्रित प्रतियां इस अधिनियम के 1970 में लागू होने के पश्चात् यथाशीघ्र और परवर्ती प्रतिवर्ष प्रथम अप्रैल के पश्चात् केन्द्रीय परिषद् को भेजनी थी। राज्य परिषदों को समय-समय पर भारतीय चिकित्सा की राज्य पंजिका में होने वाले परिवर्धन और अन्य संशोधनों की सूचना भी अविलम्ब केन्द्रीय परिषद् को भेजनी थी।

यह देखा गया कि परिषद् द्वारा 1971 में उसके गठन से भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को नहीं रखा गया, जबकि यह परिषद् के मुख्य प्रयोजनों में से एक था। इस प्रकार परिषद् दो दशाब्दियों के बाद भी अपने विधिक उत्तरदायित्व को निभाने में असफल रही। परिषद् ने जुलाई 1991 में बतलाया था कि मंत्रालय ने केन्द्रीय रजिस्टर तैयार करने के लिए आवश्यक कर्मचारी 1986 में स्वीकृत किए थे। परिषद् ने दिसम्बर 1992 को यह भी बतलाया कि 18 राज्यों में से 11 राज्यों का केन्द्रीय रजिस्टर भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है और सात राज्यों, बिहार, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश का केन्द्रीय रजिस्टर राजपत्र अधिसूचना के लिए प्रकाशन विभाग को भेजा जा चुका है।

5. बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

वर्ष 1991-92 के लिए लेखा परीक्षा की समाप्ति के समय चार पैरों सहित दो निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनका विवरण निम्न है, बकाया थे :—

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	बकाया पैरों की संख्या
1.	1989-90	2
2.	1990-91	2
		4

हस्ता०
महानिदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

स्थान नई दिल्ली
दिनांक :

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के 31 मार्च,1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के अदायगी एवं भुगतान लेखा आय एवं व्यय लेखा और 31 मार्च,1992 को यथा तुलन-पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा परिषद् की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखा और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और परिषद् के कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

ह०
निदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

स्थान: नई दिल्ली
तिथि:

भारतीय चिकित्सा

31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष

प्राप्तियां	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
1.4.91 को आय शेष				
हस्तगत रोकड़	10,564.85			
बैंक में रोकड़	1,23,237.67		81,421.39	
हस्तगत टिकटें	17.10			
फ्रैंकिंग मशीन में डाक टिकटें	1,056.51	1,34,876.13	—	81,421.39
वर्ष 91-92 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त सहायक अनुदान।		15,50,000.00		8,25,000.00
सहायक अनुदान के अतिरिक्त आय				
बेकार वस्तुओं से प्राप्त आय	8,120.00			
रद्दी की बिक्री से प्राप्त आय	146.00			
कर्मचारियों से प्राप्त फुटकर आय	440.00			
प्रार्थना-पत्र से प्राप्त शुल्क	236.00			
सामान्य भविष्य निधि का ब्याज	47,499.29			
कर्मचारियों से प्राप्त ब्याज	1657.20			
सी.जी.एच.एस. सुविधा	537.00	58,635.49		
अग्रिमों की वसूली				
सी.जी.एच.एस.	367.00			
पर्व अग्रिम	9680.00			
स्कूटर अग्रिम	9,100.00		4,800.00	
अवकाश यात्रा रियायत अग्रिम	2,430.00			
कार अग्रिम	—		15,000.00	
गृह निर्माण अग्रिम	—	21,577.00	15,600.00	35,400.00
विविध प्रेषण				
सामान्य भविष्य निधि	2,13,294.00			

केन्द्रीय परिषद्

के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

अदायगी	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
वेतन एवं भत्ते				
अधिकारियों का वेतन	50,125.00			
कर्मचारियों का वेतन	5,12,729.00			
चिकित्साभ्यास बंदी भत्ता	46,296.00			
स्नातकोत्तर भत्ता	5,489.00			
महंगाई भत्ता	3,23,855.00			
गृहभाटक भत्ता	1,29,603.00			
नगर प्रतिकर भत्ता	20,819.00			
धुलाई भत्ता	1,335.00			
वाहन प्रभार भत्ता	1,481.00			
अतिकालिक भत्ता	4,426.80			
शिक्षा प्रतिपूर्ति	480.00			
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	4,201.09			
सी.जी.एच.एस. सुविधा	13,481.00			
अवकाश यात्रा रियायत	14,058.20			
बीमा	38,489.00			
अध्यक्ष के निजी सचिव का वेतन	6,000.00	11,72,868.09	—	—
आकस्मिक व्यय				
(क) आवर्ती व्यय				
लेखन सामग्री	2,138.25		26,571.51	
डाक एवं तार	11,255.02		—	
विद्युत प्रभार	15,905.50		—	
जल प्रभार	82.00		—	
भवन का किराया	56,400.00		—	
मुद्रण	56,034.00		8694.00	
विधि सम्बन्धी व्यय	—		10,617.80	
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	3974.22		—	
लेखा परीक्षा शुल्क	11,295.00		—	
कार्यालय उपकरणों का अनुरक्षण	16,156.50		—	
वाहन प्रभार	5,553.25			

आयकर	7,905.00			
सामूहिक बीमा योजना	13,169.65	2,34,458.65		
कुल		19,99,547.27		9,41,821.39

विविध प्रभार	15,221.90		51,855.25	
यूनीफार्म प्रभार	11,684.70			
मुद्रण व्यय	—		12,395.00	
विज्ञापन	—		6,121.80	
प्रकाशन	—	2,05,700.34	2,46,171.00	3,62,426.36
(ख) अनावर्ती व्यय				
पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	1,294.90			
फर्नीचर एवं उपस्कर	369.15	1,664.05	7,106.28	7,106.28
यात्रा प्रभार				
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष			57,630.00	
सचिव/कार्यकारी	48,745.60		—	
परिषद् के सदस्य	—		1,45,919.50	
कार्यकारिणी समिति के सदस्य	—		77,055.00	
शिक्षा समिति(आयुर्वेद) के सदस्य	17,159.00		—	
शिक्षा समिति(यूनानी) के सदस्य	11,218.00		—	
वित्तियम समिति के सदस्य			29127.50	
उपसमिति के सदस्य	58,625.00		—	
परिदर्शन समिति के सदस्य	—		63,320.50	
आंचलिक बैठक	—	1,35,747.60	62,656.00	4,35,708.50
अग्रिम की अदायगी				
पर्व अग्रिम	9,800.00		—	
स्कूटर अग्रिम	13,000.00	22,800.00	—	
विविध प्रेषण				
सामान्य भविष्य निधि	2,13,294.00			
आयकर	7,995.00			
सामूहिक बीमा योजना	13,169.65	2,34,458.65		
पेंशन में अंशदान		57,165.00		
सामान्य भविष्य निधि का ब्याज		68,972.00		
31.3.92 को अंतिम शेष				
हस्तगत रोकड़	8,780.75			
बैंक में रोकड़	90,222.70		1,36,580.25	
हस्तगत डाक टिकटें	64.10		—	
फ्रैंकिंग मशीन में डाक	1,103.99	1,00,171.54	—	1,36,580.25
कुल		19,99,547.27		9,41,821.39

भारतीय चिकित[illegible]तीय परिषद्

31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष [illegible] आय और व्यय का लेखा

व्यय	गैर-योजना राशि	राशि	योजना राशि
वेतन एवं भत्ते			
अधिकारियों का वेतन	50,125.00		—
कर्मचारियों का वेतन	5,12,729.00		—
चिकित्साभ्यास बन्दी भत्ता	46,296.00		—
स्नातकोत्तर भत्ता	5,489.00		—
मंहगाई भत्ता	3,23,855.00		—
नगर प्रतिकर भत्ता	20,819.00		—
गृह भाटक भत्ता	1,29,603.00		—
धुलाई भत्ता	1,335.00		—
वाहन भत्ता	1,481.00		—
अतिकालिक भत्ता	4,426.80		—
शिक्षा प्रतिपूर्ति	480.00		—
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	4,201.09		—
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	13,481.00		—
अवकाश यात्रा रियायत	14,058.20		—
बोनंस	,8,489.00		
अध्यक्ष के निजी सचिव का पारिश्रमिक	6,000.00	11,72,[illegible]09	—
आकस्मिक व्यय			
लेखन सामग्री	2,138.25		26,571.51
डाक एवं तार	11,255.02		—
विद्युत प्रभार	15,905.50		—
जल प्रभार	82.00		—
भवन का किराया	56,400.00		—
दूरभाष	56,034.00		8,694.00
विधि सम्बन्धी व्यय	—		10,617.80
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	3,974.22		—
लेखा परीक्षा शुल्क	11,295.00		—
कार्यालय उपकरणों का रख-रखाव	16,156.50		—
वाहन प्रभार	5,553.25		—
विविध व्यय	15,221.90		51,855.25
यूनिफार्म सम्बन्धी व्यय	11,684.70		—

आय	गैर-योजना राशि	राशि	योजना राशि	राशि
[illegible] 1991-92 के दौरान स्वास्थ्य				
[illegible] परिवार कल्याण मंत्रालय				
[illegible] से प्राप्त				
[illegible] अनुदान	15,50,000.00		8,25,000.00	
[illegible] पूंजीगत अनुदान	1,664.05	15,48,335.95	7,106.28	8,17,893.72
[illegible] प्राप्तियां				
[illegible] वस्तुओं की बिक्री से	8,120.00			
[illegible] की बिक्री	146.00			
[illegible] कर्मचारियों से वसूली	440.00			
[illegible] पत्र शुल्क	236.00			
[illegible] सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा	537.00			
[illegible] भविष्य निधि का ब्याज	47,499.29			
[illegible] कर्मचारियों से ब्याज	1,657.20	58,635.49		
[illegible] की गई दूरभाष की जमानत		9,228.00		19,960.00
[illegible] से व्यय की अधिकता		24,253.59		4,11.161.14

मुद्रण व्यय	—		12,395.00	
विज्ञापन	—		6,121.80	
प्रकाशन	—	2,05,700.34	6,97,051.00	8,13,306.36
यात्रा प्रभार				
अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष	—		57,630.00	
सचिव/ कर्मचारी	48,745.60		—	
परिषद् के सदस्य	—		1,45,919.50	
कार्यकारिणी समिति के सदस्य	—		77,055.00	
शिक्षा समिति (आयु०) के सदस्य	17,159.00		—	
शिक्षा समिति (यूनानी) के सदस्य	11,218.00		—	
विनियन समिति के सदस्य	—		29,127.50	
उप समिति के सदस्य	58,625.00		—	
परिदर्शन समिति के सदस्य	—		63,320.50	
आंचलिक बैठक	—	1,35,747.60	62,656.00	4,35,708.50
पैंशन निधि में अंशदान		57,165.00		—
सामान्य भविष्य निधि का ब्याज		68,972.00		—
कुल		16,40,453.03		12,49,014.86

कुल 16,40,453.03 12,49,014.86

31 मार्च, 1992 को

दायित्व	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
सामान्य आरक्षित				
स्थापना के दिन प्राप्त परिसम्पत्तियां		20,080.15		
शासकीय अनुदान से प्राप्त परिसम्पत्तियां				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	2,39,078.03		5,53,800.04	
जोड़े-वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान	1,664.05		7,106.28	
	2,40,742.08		5,60,906.32	
घटाएं-वर्ष के दौरान विमोचन	40,863.33	1,99,878.75	—	5,60,906.32
उपकुल		2,19,958.90		5,60,906.32
व्यय से आय की अधिकता				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,66,673.13		1,83,321.39	
घटाएं-आय से व्यय की अधिकता	24,253.59	1,42,419.54	4,11,161.14	2,27,839.75
प्रकाशन		—		4,50,880.00
सामान्य भविष्य निधि		7,77,895.00		—
पेंशन निधि		5,68,879.02		

यथा तुलन-पत्र

परिसम्पत्ति	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
अनावर्तक प्रकृति				
(1.) फर्नीचर एवं उपस्कर				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	76,564.68		35,581.48	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	369.15		7,106.28	
	76,933.83		42,687.76	
वर्ष के दौरान विमोचन	3,392.18	73,541.65	—	42,687.76
2) पुस्तकालय के लिए पुस्तकें				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	28,380.01		—	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,294.90	29,674.91	—	—
3) वातानुकूलित उपकरण				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	38,537.53		26,789.80	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—		—	
	38,537.53		26,789.80	
वर्ष के दौरान विमोचन	16,196.80	22,340.73	—	26,789.80
4) कार्यालय उपकरण				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,15,675.96		4,91,428.76	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—		—	
	1,15,675.96		4,91,428.76	
वर्ष के दौरान विमोचन	21,274.35	94,401.61	—	4,91,428.76
उपकुल		2,19,958.90		5,60,906.32
आवर्ती प्रकृति				
दूरभाष		9,228.00		19,960.00
ऋण एवं अग्रिम				
पर्व अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	6,760.00			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	9,800.00			
	16,560.00			
वर्ष के दौरान की गई वसूली	9,680.00	6,880.00		

स्कूटर अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	22,240.00		10,000.00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	13,000.00		—	
	35,240.00		10,000.00	
घटाएं वर्ष के दौरान की गई वसूली	9,100.00	26,140.00	4,800.00	5,200.00
(3) कार अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार			15,000.00	
वर्ष के दौरान की गई वसूली			15,000.00	शून्य
(4) गृह निर्माण अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार			76,900.00	
वर्ष के दौरान की गई वसूली			15,600.00	61,300.00
(5) सी.जी.एच.एस. अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	367.00			
वर्ष के दौरान विमोचन	367.00	शून्य		
(6) अवकाश यात्रा रियायत अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	2,430.00			
वर्ष के दौरान की गई वसूली	2,430.00	शून्य		
31.3.92 को अन्त शेष				
हस्तगत रोकड़	8,780.75			
बैंक में रोकड़	90,222.70		1,36,580.25	
हस्तगत डाक टिकटें	64.10			
फ्रैंकिंग मशीन में डाक टिकटें	1103.99	1,00,171.54	—	1,36,580.25
सामान्य भविष्य निधि		7,77,895.00		—
पेंशन निधि		5,58,879.02		—
कुल		17,09,152.46		7,83,946.57

कुल	17,09,152.46	7,83,946.57

भारतीय चिकित्सा
सामान्य
31 मार्च,1992 को समाप्त हुए वर्ष के

प्राप्तियां

	राशि	राशि
बैंक आफ इण्डिया के खाते में 1-4-91 को आद्य शेष		3,762.00
कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त अंशदान	85,561.00	
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	48,918.00	1,34,479.00
कर्मचारियों से ऋण की वसूली		78,815.00
बचत खाता, मासिक आय पत्र और विशिष्ट जमा योजना पर बैंक से अर्जित ब्याज		47,499.29
ब्याज, 1991-92 के लिए परिषद् से प्राप्त राशि		68,972.00
परिपक्व मासिक आय प्रमाण पत्र		40,000.00
कुल		3,73,527.29

केन्द्रीय परिषद
भविष्य निधि
लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतानों का लेखा

भुगतान

	राशि	राशि
कर्मचारियों को स्वीकृत किया गया ऋण		78,575.00
कर्मचारियों को अन्तिम निकासी		
अंशदान	44,209.00	
ब्याज	1,649.00	45,858.00
परिषद् में स्थानान्तर राशि		47,499.29
मासिक आय प्रमाण - पत्र में विनियोजन		1,75,000.00
बैंक आफ इंडिया के बचत खाते में 31-3-92 को अन्तिम शेष		26,595.00
कुल		3,73,527.29

भारतीय चिकित्सा

सामान्य भविष्य

31 मार्च, 1992 को

1990-91	दायित्व	राशि	राशि
4,62,959.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	6,20,302.00	—
1,39,330.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,34,479.00	—
6,22,289.00		7,54,781.00	—
55,000.00	घटाएं अन्तिम निकासी	45,858.00	
5,67,289.00		7,08,923.00	—
53,013.00	जोड़े-ब्याज	68,972.00	7,77,895.00
6,20,302.00			
6,20,302.00	योग		7,77,895.00

केन्द्रीय परिषद्

निधि -

यथा तुलन - पत्र

1990-91	परिसम्पत्ति	राशि	राशि
1,70,500.00	**विशेष जमा योजना**		1,70,500.00
1,70,500.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार		
	(ख) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र		
75,000.00	गत तुलन पत्र के अनुसार		75,000.00
75,000.00			
	(ग) मासिक आय प्रमाण-पत्र		
1,50,000.00	गत तुलन पत्र के अनुसार	2,75,000.00	—
1,75,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,75,000.00	—
3,25,000.00		4,50,000.00	—
50,000.00	घटाएं-विमोचित	40,000.00	4,10,000.00
2,75,000.00	**कर्मचारियों को ऋण**		
67,710.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	96,040.00	—
1,18,100.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	78,575.00	—
1,85,810.00		1,74,615.00	
89,770.00	घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसूली	78,815.00	95,800.00
96,040.00			
3,762.00	31.3.92 तक बैंक आफ इंडिया के		
3,762.00	बचत खाते में बकाया जमा राशि		26,595.00
6,20,302.00	योग		7,77,895.00

भारतीय चिकित्सा

पैंशन एवं केन्द्रीय परिषद्

31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

प्राप्तियां	राशि
बैंक आफ इंडिया के बचत खाते में 1.4.91 को आद्य शेष	5,404.87
अंशदान	57,165.00
बचत खाते में बैंक और डाकखाने से और मासिक आय प्रमाण-पत्र एवं राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र से अर्जित ब्याज	80,309.15
परिपक्व मासिक आय प्रमाण-पत्र	1,79,000.00
परिपक्व राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र	55,000.00
कुल	3,76,879.02

भुगतान	राशि
मासिक आय प्रमाण-पत्र में विनियोजन	3,15,000.00
बैंक आफ इंडिया के बचत खाते में 31.3.92 को अन्त शेष	61,879.02
कुल	3,76,879.02

भारतीय चिकित्सा पैंशन एवं 31 मार्च,1992 को

1990-91	दायित्व	राशि	राशि
3,48,145.78	गत तुलन-पत्र के अनुसार	4,31,404.87	
	वर्ष के दौरान जोड़ा गया		
56,622.00	अंशदान	57,165.00	
26,637.09	व्याज	80,309.15	5,68,879.02
4,31,404.87			
4,31,404.87	कुल		5,68,879.02

केन्द्रीय परिषद्
पेंशन निधि
तथा तुलन - पत्र

1990-91	परिसम्पत्ति	राशि	राशि
5,404.87	बैंक आफ इंडिया के चालू खाते में		61,879.02
5,404.87	विनियोजन		
	राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र		
1,20,000.00	गत तुलन पत्र के अनुसार	1,20,000.00	
	घटाएं-वर्ष के दौरान विमोचित	55,000.00	65,000.00
1,20,000.00			
	मासिक आय प्रमाण-पत्र		
2,14,000.00	गत तुलन पत्र के अनुसार	3,06,000.00	
35,000.00	घटाएं वर्ष के दौरान विमोचित	1,79,000.00	
1,79,000.00		1,27,000.00	
1,27,00.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	3,15,000.00	4,42,000.00
3,06,000.00			
4,31,404.87	कुल		5,68,879.02

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

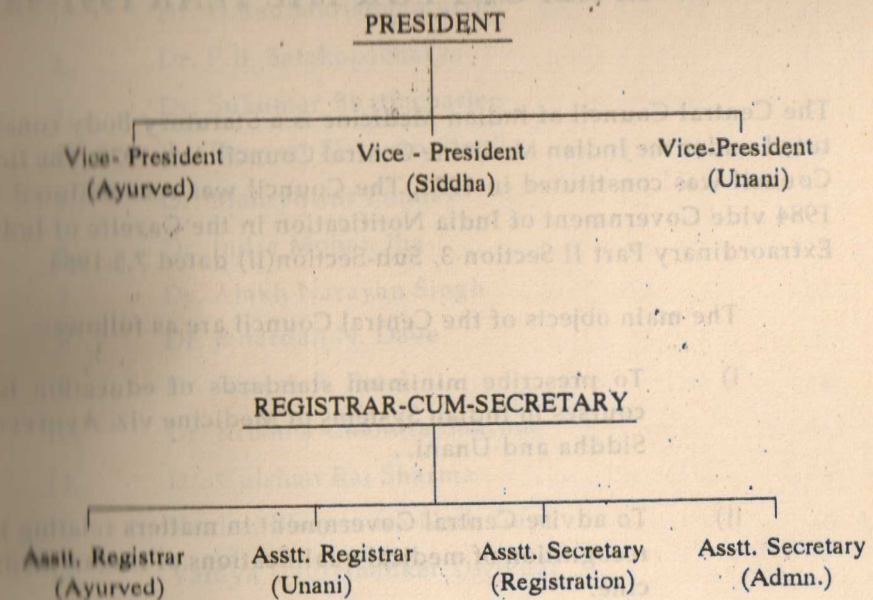

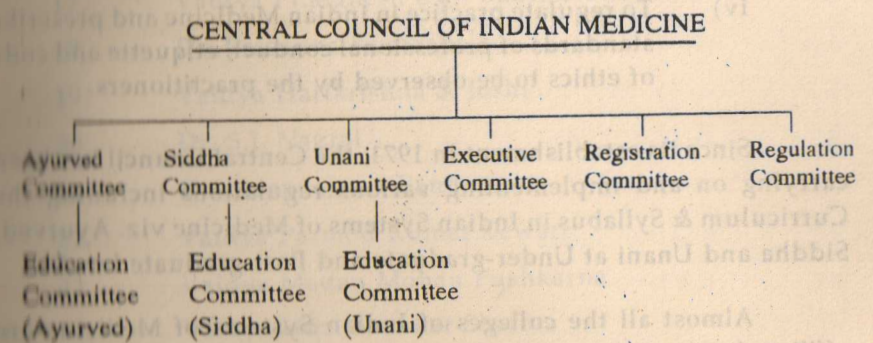

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1991-92

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The first Council was constituted in 1971. The Council was reconstituted in 1984 vide Government of India Notification in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3, Sub-Section(ii) dated 7.5.1984.

The main objects of the Central Council are as follows:-

i) To prescribe minimum standards of education for courses in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani..

ii) To advise Central Government in matters relating to recognition of medical qualifications of Indian Medicine.

iii) To maintain the Central Register of Indian Medicine and revise the register from time to time.

iv) To regulate practice in Indian Medicine and prescribe standards of professional conduct, etiquette and code of ethics to be observed by the practitioners.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been carrying on and implementing various regulations including the Curriculum & Syllabus in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani at Under-graduate and Post-graduate levels.

Almost all the colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various universities in the country. These colleges are following the minimum standards of education which include curriculum & syllabus prescribed by the Council.

COMPOSITION OF THE COUNCIL

The following are the members of the Central Council:

AYURVED

1. Dr. D.Radhakrishnamurthy
2. Dr. P.B. Satakopacharya
3. Dr. Sukumar Bhattacharjee
4. Dr. Deovrat Narayan Singh
5. Dr. Maheshwar Pandey
6. Dr. Indra Mohan Jha
7. Dr. Alakh Narayan Singh
8. Dr. Janardan N. Dave
9. Dr. Dinesh R. Patel
10. Dr. Krishna Chandra Sharma
11. Dr. Gulshan Rai Sharma
12. Kaviraj Bhupendra Nath Gupt
13. Vaidya Gaurishanker Dwivedi
14. Vaidya Panchayya Hosmath
15. Dr. A.C. Rahula Kumar
16. Dr. K.Madhavan Nair
17. Vaidya Pt.Mahesh Dutt Sharma Shastri
18. Dr. Prasanna Kumar Jain
19. Vaidya Harikrishna S. Joshi
20. Dr. S.I. Nagral
21. Dr. Swapneswar Panda
22. Vaidya Parmod Kumar Tewari
23. Vaidya Madan Mohan Pushkarna
24. Vaidya Udai Shankar Sharma
25. Vaidya Gukulendra Sharma
26. Dr. V. Narayana Swami
27. Dr. Ram Prakash Gupta

28. Dr. Hukam Chand Sharma
29. Dr. Prem Dutt Sharma
30. Dr. Ananda Roy
31. Dr. P. Seshi Reddy
32. Vaidya K.K. Pande
33. Dr. K.K. Zala
34. Vaidya Shamlal Vashishtha(Sharma)
35. Dr. L. Chikkarajanna
36. Dr. S.V. Savadi
37. Dr. K.P. Sreekumari Amma
38. Dr. Sachchidanand Upadhyay
39. Dr. A.K. Dulani
40. Vd. Pt.Shivkaran Sharma Chhangani
41. Vaidya S.G. Phadke
42. Dr.Krishna Bhatt Kaintaja
43. Vaidya Radhakrishna Shridhar Waray
44. Vaidya S.K. Mishra
45. Vaidya Jagannath Mishra
46. Dr. P.K. Debnath
47. Prof. R.C. Chaturvedi
48. Vaidya Hari Narayan Swami
49. Prof. V.J. Thakar
50. Dr. Ramesh Mishra
51. Acharya P.V. Sharma
52. Dr. S.T. Gujar
53. Vaidya Devendra Kumar Triguna
54. Kaviraj Nanak Chand Sharma
55. Vaidya K.S. Varier
56. Dr. B.A. Hiremath
57. Dr. S.P. Gupta
58. Dr. D.L. Narayana
59. Vaidya Chandra Sekhar Gaur
60. Vaidya P.C. Bhattacharya

SIDDHA

61. Dr. G.Annaswamy
62. Dr. C.P.Ramanathan
63. Dr. K.Palanichamy

UNANI

64. Hakim Mohd. Ashraf Karim
65. Dr. Madan Sarup Gupta
66. Hakim Mohd. Umar
67. Dr. Dharam Chand
68. Dr. Daulat Ram Bharaj
69. Dr. Bansilal Pandit
70. Dr. Abdur Rahman
71. Dr. Abdul Mobin Khan
72. Hakim Ved Prakash Sharma
73. Hakim Mohd. Iqbal Khan
74. Prof.Hakim Syed Khaleefathullah
75. Dr.M.T. Khan
76. Hakim Mohd. Ahmad Lari
77. Dr. Syed Shaji Hyder
78. Dr. S.K. Khadri
79. Prof. Hakim Mohd. Taiyab
80. Hakim M.A. Razzack
81. Hakim Abdul Hameed
82. Hakim Faizan Ahmed
83. Hakim Faiyaz Alam
84. Dr. J.D. Sanderwale

OFFICE BEARERS

The following are the office bearers of the Council:-

1. Prof. Hakim Syed Khaleefathulla — President
2. Vaidya Pt.S.K. Chhangani — Vice-President(Ay.)

3.	Hakim M.A. Razzack	Vice-President(Unani)
4.	Dr. S.I. Nagral	Chairman, Education Committee (Ayurved)
5.	Prof. Hakim Mohd. Taiyab	Chairman, Education Committee (Unani)
6.	Dr. Prasanna Kumar Jain	Chairman, Registration Committee
7.	Vaidya Pt.Mahesh Dutt Sharma Shastri	Chairman, Regulation Committee

As per Section 9(1) of the IMCC Act, 1970, the Central Council has the following main committees namely:-

1. Ayurveda Committee
2. Siddha Committee
3. Unani Committee

The above committees consist of members elected under clauses (a), (b) and nominated under clause(c) of sub-section(1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970 representing the Ayurved, Siddha and Unani Systems of Medicine.

The Vice-President for each of the Ayurveda, Siddha and Unani Systems of Medicine elected under sub-section (3) of Section 3, are respectively the Chairman of the Committees referred to above.

Subject to such general or specific directions as the Central Council may from time to time give, each committee is competent to deal with any matter relating to Ayurved, Siddha and Unani Systems of Medicine, as the case may be, within the competence of the Central Council.

The Central Council also constituted the following Committees under Section 10 of the I.M.C.C. Act, 1970 to carry out various functions.

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee is constituted in accordance with regulation No.5 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Council within the framework of the Act and the rules and regulations made thereunder in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. The Committee is represented by all the three

systems of Indian Medicine i.e. Ayurveda, Siddha and Unani.

The following are the members of the Executive Committee:

Chairman	1.	Prof. Hakim Syed Khaleefathullah, President
Members	2.	Vaidya Pt.S.K. Chhangani, Vice President (Ayurved)
	3.	Hakim M.A. Razzack, Vice-President (Unani)
	4.	Dr. S.T. Gujar
	5.	Vaidya Pramod Kumar Tewari
	6.	Dr.Ram Prakash Gupta
	7.	Prof. K.Madhavan Nair
	8.	Prof. Hakim M.Taiyab
	9.	Hakim Ved Prakash Sharma
	10.	Dr. K.Palanichamy

REGULATION COMMITTEE

The Regulation Committee is constituted by the Council to draw up the various regulations of the Central Council as required from time to time and to consider various matters relating thereto under the IMCC Act, 1970.

The following are the members of the Regulation Committee:

Chairman	1.	Vaidya Pt.Mahesh Dutt Sharma Shastri
Members	2.	Vaidya Madan Mohan Pushkarna
	3.	Vaidya Hari Narayan Swami
	4.	Dr. Swapneshwar Panda
	5.	Vaidya Panchayya Hosmath
	6.	Dr. Janardan N.Dave
	7.	Dr. P.B. Satakopacharya
	8.	Dr. Maheshwar Pande
	9.	Dr. Gulshan Rai Sharma
	10.	Dr. D. Radhakrishnamurthy
	11.	Dr. J.D. Sanderwale
	12.	Dr. Bansi Lal Pandit
	13.	Dr. Abdur Rahman
	14.	Dr. Dharam Chand

REGISTRATION COMMITTEE

The Council constituted a Registration Committee to look into the matters relating to recognition and inclusion of various medical qualifications in the Schedules to IMCC Act, 1970 and to make recommendations on the subject. The consideration of the matters relating to the registration is also under the purview of this Committee.

The following are the members of Registration Committee:-

Chairman	1.	Dr.Prasanna Kumar Jain
Members	2.	Prof. R.C. Chaturvedi
	3.	Dr. Krishna Chandra Sharma
	4.	Vaidya Hari Krishna S.Joshi
	5.	Dr.P.K. Debnath
	6.	Dr. Prem Dutt Sharma
	7.	Dr. A.C. Rahula Kumar
	8.	Dr. D.R. Patel
	9.	Dr. B.A. Hiremath
	10.	Dr. Ram Prakash Gupta
	11.	Dr. Indra Mohan Jha
	12.	Dr. Madan Sarup Gupta
	13.	Dr. M.T. Khan
	14.	Hakim Mohammed Umar
	15.	Dr. Daulat Ram Bharaj
	16.	Hakim Faizan Ahmed

EDUCATION COMITTEES (AYURVED, SIDDHA & UNANI)

The Education Committees are competent to deal with all the matters pertaining to Ayurved, Siddha and Unani education respectively. The following are the members of the Education Committees of Ayurved, Siddha and Unani:

AYURVED

Chairman	1.	Dr. S.I. Nagral
Members	2.	Vaidya Pt.Shivkaran Sharma Chhangani (Vice-President Ayurved)

	3.	Vaidya Devendra Kumar Triguna
	4.	Kvj. Nanak Chand Sharma
	5.	Dr. Ram Prakash Gupta
	6.	Dr. Ananda Roy
	7.	Dr. Satyapal Gupta
	8.	Vaidya S.G. Phadke
	9.	Dr. Hukam Chand Sharma
	10.	Vaidya S.K. Mishra
	11.	Vaidya Jagannath Mishra
	12.	Acharya P.V. Sharma
	13.	Dr. Ramesh Mishra
	14.	Kaviraj B.N. Gupt
	15.	Dr. V. Narayanaswami

SIDDHA

	1.	Dr. K. Palanichamy
	2.	Dr. G. Annaswamy

UNANI

Chairman	1.	Prof. Hakim Mohd. Taiyab
Members	2.	Hakim M.A. Razzack Vice-President (Unani)
	3.	Hakim Syed Shaji Hyder
	4.	Hakim Mohd. Ashraf Karim
	5.	Hakim Abdul Mobin Khan
	6.	Hakim Abdul Hameed
	7.	Hakim Faiyaz Alam
	8.	Hakim S.K. Khadri
	9.	Hakim Mohd. Iqbal Khan
	10.	Hakim Mohd. Ahmed Lari
	11.	Dr. Madan Sarup Gupta

During the year 1991-92 the following meetings were held:

1.	Central Council	One
2.	Ayurveda Committee	One
3.	Siddha Committee	One
4.	Unani Committee	One
5.	Executive Committee	Three
6.	Education Committee(Ay)	One
7.	Education Committee(Unani)	One
8.	Regulation Committee	One
9.	Registration Committee	One
10.	Sub-Committee(Ay.)	One
11.	Sub-Committee(Unani)	Three
12.	Selection Committee	One
13.	Zonal meetings of Health Secretaries, Directors of ISM, President, Chairmen and Registrars of Board of Indian Medicine, Office bearers and members of CCIM belonging to concerned States.	Two

The annual meeting of the Central Council was held on 28th and 29th February, 1992 at New Delhi. The Central Council ratified the minutes of the various committees held during the year. The Central Council made the following recommendations:

AYURVED

1. The Central Council decided the minimum qualification for teachers of Sanskrit as under:

'A degree in Ayurved from a University established by law or a statutory Board/Faculty/Examining Body of Indian Medicine or its equivalent as recognised under Indian Medicine Central Council Act, 1970 alongwith Shastri in Vyakaran/Sahitya/Darshan in Sanskrit or its equivalent qualification from a recognised University.

Or

M.A. with Sanskrit or its equivalent qualification. It was further added that in case of person having M.A. Sanskrit who does not possess any of recognised qualification in Ayurved included in I.M.C.C. Act, 1970 as prescribed under Regulations shall not be

covered under cadre.

2. The Central Council noted that there are so many irregularities in the conduct of Ayurvedacharya course in Bihar University and Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University. These universities and State Govt. are defying Regulations inspite of repeated letters and warnings from the Central Council. This issue was also considered by the Central Council in its 21st meeting held on 21st and 22nd February, 1991. It was decided that strong letter regarding fulfilment of minimum requirement and raising up educational standards in ISM institutions be sent to all State Governments and Directors of ISM.

It was decided that a Committee of office bearers of the Council may meet the higher authorities of the State Govt. and discuss the problems. Accordingly, the Secretary to the Govt.of Bihar, Deptt. of Health & Family Welfare was requested to fix a suitable date and time convenient to Health Minister and other competent authorities of Bihar for mutual discussion to sort out the problems with the office bearers of the Central Council.

The Central Council further noted the non-observance of instructions of CCIM by Bihar Government and Universities. Inspite of repeated letters and instructions to the concerned authorities, no response is forthcoming. It was, therefore, decided that in the interest of the development of Ayurved and maintenance of standards in Ayurvedic Education, a Committee consisting of Vice-President (Ay.) Chairman, Education Committee (Ay.) Dr. S.P. Gupta and Dr. B.P.Gupta should get in touch with the Secretary, Govt.of Bihar, Chief Minister and Health Minister of Bihar and apprised them of the details of violation of rules and regulation. To find an effective solution to salvage the education of Ayurved in Bihar, it was decided to include Dr. D.N. Singh in the delegation. The Ministry of Health & Family Welfare may also be apprised regarding the details of the issue and request them to take up the issue with the authorities of Government of Bihar.

It was also decided to write a strong letter immediately to the State Govt. and Universities of Bihar to stop admission in Ayurved colleges which have been banned during last four years.

It was further decided that if any fruitful results do not come up after meeting with officials of State Govt. necessary action may be taken to withdraw the recognition of qualifications awarded by Bihar University and Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University under Section 21 of I.M.C.C.Act, 1970.

The A.L.N. Rao Memorial Ayurvedic Medical College, Koppa was permitted to admit the student in Under-graduate course of Ayurved for the session 1991-92 subject to the condition of fulfilment of shortcomings indicated in the visitation report.

It was also decided that factual information be called for and re-examined in the light of minimum requirements. If necessary, on the spot study should be undertaken. Till the whole procedure is over admission should not be allowed in the ensuirng session in June, 1992.

4. The Central Council considered the request of Ayurved Mahavidyalaya, Sion, Bombay to allow to conduct Post-graduate courses in Samhita and Dravyaguna Departments. It was decided to carryout a visitation of the institution to verify the facts & availability of teaching facilities alongwith the other minimum requirements in the institution. Till then the permission should not be given.

5. The Central Council observed that S.V. Ayurved College, Tirupati does not fulfil the conditions with regard to the teaching and non-teaching and para medical staff. It was decided that no further permission for admission be granted unless all the deficiencies/shortcomings are removed.

The Central Council agreed to the suggestion of Vaidya K.K. Pandey that the name of the college should be mentioned in the Schedule to the I.M.C.C. Act, 1970 with the qualification. The necessary procedure may be followed to bring the decision into action.

The Ayurved Mahavidyalaya, Nasik was permitted to conduct Post-graduate course in Shalyatantra with the condition that staffing pattern and all facilities and equipment required for teaching and training purpose are made available in the department within two years.

It was brought to the notice of the Central Council that the nomenclature of members of teaching staff has been done Professor, Reader and Senior Lecturer under new Regulations which has no semitry with medical education in India and it becomes alone due to non-semitry with medical department. Hence, these designations be kept Professor, Reader, Lecturer as were in past so that there will be convenience for taking approval of the Government. Otherwise this department will go to general education instead of medical education.

The Central Council decided that the staffing pattern as specified in the rules and regulations should be adhered to at the moment.

However, the nomenclature prevalent in some of the institutes, if found to be equivalent, may be allowed to retain the same.

The Central Council considered in detail of the letter of Govt.of India regarding violation of a regulation by Dayanand Ayurved College Jalandhar affiliated to Gurunanak Dev University, Amritsar and decided that a committee consisting of Vaidya Pramod Tewari, Dr. Hukam Chand Sharma and Secretary, CCIM should visit the college for on spot study as well as meet the officials of the University. The detail report regarding college be submitted immediately.

The Central Council was informed by Vaidya Hari Narayan Swami regarding lack of teaching facilities in Ayurved Vishwa Bharti, Sardar Shahar. It was instructed to write a strict letter to the State Govt. and University concerned for necessary action.

It was also decided to call for detailed information from each institution for office record in proforma to be prepared by the office in consultation with Vaidya K.K. Pandey.

The Central Council noted with great concern the continuous process of starting new colleges in Maharashtra State inspite of the Council's letters addressed to the Secretary, Govt.of Maharashtra, Deptt. of Health & Family Welfare and the Vice-Chancellors of the respective Universities. The Government of Maharashtra is persistently violating the norms and instructions of the CCIM regarding the new college. Hence, it was decided that the matter be brought to the notice of the Governor of Maharashtra and request him to take necessary action.

The Central Council resolved that unless and untill the shortcomings as per the visitation reports are not redressed, the sanction to continue the colleges for the coming year should not be permitted without confirming compliance report.

The Central Council resolved that the new colleges should not be allowed to function without prior sanction of the CCIM even though the University and State Govt. permit them.

The Central Council resolved that permission may be granted for Post-graduate course only after the full recognition of Under-graduate course.

The following institutions/ Ayurved colleges were visited during the year to assess the minimum standards and requirements for imparting Under-graduate/Post-graduate education in conformity with regulations prescribed by the Central Council:

University of Poona			
1.	Ayurved Mahavidyalaya, Nasik	29.7.91	PG
2.	Ayurved Mahavidyalaya, Dhule	5.10.91	UG
Marathwada University			
3.	Ayurved Mahavidyalaya, Latur	26.6.91	UG
Kuvempu University			
4.	ALN Rao Ayurved Mahavidyalaya, Koppa	6/7.9.91	UG
University of Kerala			
5.	Govt. Ayurved Mahavidyalaya, Thiruvananthapuram	18.12.91	PG
6.	Ayurved Mahavidyalaya, Kannur	19.12.91	UG

UNANI

1. The Central Council noted the contents of letter of the General Secretary, All India Unani Tibbi Conference, Hyderabad with regard to revise the medium of instructions of Under-graduate course in Unani Tib and observed that the medium of instructions under the regulations pertaining to Under-graduate education of Unani Tib was reviewed and the amended approved provision was notified in the Gazette of India, Part III, Section IV dated 11.11.89. It was decided that provisions made by the Central Council and Gazetted on 11.11.89 stand valid and the same be followed strictly.

2. The Central Council decided that a letter may be sent to all Unani Tibbia Colleges seeking their views for introduction of 4½ years degree course of Unani and one year internship (three Professional exam. after 1½ year each).

3. The Central Council resolved that parity be maintained in number of non-teaching posts in the existing norms of minimum standards for Under-graduate course of Unani & Ayurveda.

4. It was pointed out by Hakim MA Lari that in the prescribed Regulations there are no Recruitment Rules mentioned for the post of Demonstrator while in the staffing pattern the post of Demonstrator does exist. To remove this anamoly it was resolved to add the following in column 1(ii) pertaining to essential qualification prescribed for teaching staff 'but no

teaching experience is required' after the word respectively.

The Central Council decided that a circular be issued to all the Universities/Boards/Institutions to the effect that no non Unani member should sit on the committees considering the matters related to Unani System of medicine.

The Central Council decided that instructions be issued to the Universities to constitute the respective Board of Studies as per norms of CCIM as early as possible.

The Central Council decided that for the betterment and standardisation of Unani System of Medicine and to ensure that the minimum requirement such as Herb Gardens are maintained, minimum practicals are conducted and minimum lectures are delivered to the students timely/periodical inspection of Unani Tibbia Colleges be carried out.

The Central Council recommended that department of Social & Preventive Medicine should be established in all Unani Tibbia hospital.

The Central Council noted that there is a disparity in the pay, allowances and status of Ayurvedic & Unani physicians respectively in the Govt. dispensaries of the Himachal Pradesh. It was, therefore, resolved that the concerned authorities be requested to remove this disparity by giving Hakims the same pay, allowances and status as given to Vaidyas.

It was noted by the Central Council that the vacant posts in Unani dispensaries of Punjab are being filled by those persons who do not possess Unani qualification. The Central Council resolved that the Govt. of Punjab be requested to appoint only Unani qualifications holders in Unani dispensaries of Punjab State.

The Central Council decided that Punjab Govt. be requested to start at least one Unani college imediately as no Unani college exists in the State.

It was decided that the matter to draft the Curriculum & Syllabus for diploma course in Unani Pharmacy be again referred back to the sub-committee in order to go through the details of Syllabus and also provide the English terms against Urdu/Arabic terms.

The Central Council finalised the scheme of teaching and examinations and marks etc. for preliminary examination under regulations pertaining to Post-graduate education in Unani Tib pre-

PRELIMINARY EXAMINATIONS

Subject	Total Lecture	No.of practical/ demonstration	No.of papers	MARKS Theory	Practical
Umoore-Tibbia Munafe-ul-Aza & Tashree-e-Badan	180	180	2	200	100
Methods of Research & Bio-Statistics	60		1 (in 2 parts)	100	(50 each)
Usool-e-Ilaj & Maheatul-Amraz	180	90	2	200	100
Sareeriat	90	90	1	100	50

It was further brought to discussion that broad lines of syllabus in respect of Preliminary subjects of Post-graduate course should also be provided. It was, therefore, decided to refer the matter to the Sub-Committee already constituted on 20.2.91 in order to frame the syllabus and also to resolve other relevant issues, if any.

The Central Council considered the visitation report of Jamia Tibbia, Deoband and decided that keeping in view the present minimum standards available in the Jamia Tibbia Deoband, the Jamia Tibbia Deoband be permitted to continue the Pre-Tib and Kamil-e-Tib-o-Jarahat course prescribed by CCIM for a further periods of two years. The institution be visited again after completion of two years to verify the facts and progress made for fulfilment of requirements as recommended by the Central Council. Admission to the academic years in 1993-94 will however, depend on next visitation.

The Central Council noted that the Government of Maharashtra, Medical Education and Drugs Deptt. forwarded the proposal of following three institutions for starting Unani colleges:

1. Ahmedia Unani Medical College, Ahmednagar
2. Unani Tibbia Medical College, Nanded
3. Unani Medical College & Hospital, Parbhani.

The visitation of the above institutions was carried out for the purpose of assessing the hospital and teaching facilities available in

Unani Tib as prescribed by the CCIM.

The Central Council approved the visitation reports and decided that Government of Maharashtra be informed that the above institutions be permitted to conduct Under-graduate course in Unani Tib for the period of two years i.e. 1991-92 and 1992-93. The terms and conditions and other requirements mentioned under the minimum standards laid down by the Central Council for imparting Under-graduate education in Unani Tib should be fulfilled/completed within two years.

It was also decided that on the expiry of initial two years the second visitation should be carried out and the visiting committee should ensure that the institutions should follow the recommendation of CCIM in respect of teaching & training in letter and spirit.

The following institutions/Unani colleges were visited during the year to assess the minimum standards and requirements for imparting Under-graduate education in conformity with regulations prescribed by the Central Council:

S.No.	Name of College	Date of Visitation	UG/PG
	Kanpur University		
1.	Jamia Tibbia College, Deoband	5.6.91	UG
	Pune University		
2.	Ahmedia Unani Medical College, Ahmednagar	26.7.91	UG
	Marathwada University		
3.	Unani Tibbia College, Nanded	27.7.91	UG
4.	Unani Medical College & Hospital Parbhani	28.7.91	UG

SIDDHA

The Central Council noted that the Govt.of Tamilnadu has submitted a proposal of Akhila Thiruvithancore Siddha Vaidya Sangam, Siddha Maruthuva Kaloory and Hospital, Munchirai to allow to conduct Under-grauuate course of Siddha subject to fulfilment of norms and conditions laid down by CCIM. It was resolved that permission should not be granted without the approval of the Central Council of Indian Medicine.

The Central Council noted with regret that no college of Siddha Medicine was included in list by the Govt.of India, Ministry of Health & Family Welfare for the purpose of Grant-in-aid to Under-graduate college of ISM & Homoeopathy under scheme for improving & strengthening the existing Under-graduate college of ISM & Homoepathy. It was therefore, recommended that in future Govt. Siddha Medical College, Pallayamkottai and Govt. Siddha Medical College, Palani be given grant-in-aid for purchase of equipment and hospital purposes amounting to Rs.10.00 lakh and 15.00 lakh respectively.

The Central Council noted that the Tamilnadu Board of Indian Medicine is issuing provisional registration certificates to qualified graduates of Siddha but no regular registration certificate is issued even after a long time. This has created a lot of problems for qualified graduates of Siddha Medicine. It was decided that qualified graduates of Siddha may be given permanent registration certificate without delay.

The Central Council resolved to request the Govt.of India to nominate Siddha members in the vacancies caused due to retirement or otherwise fallen vacant in the Council in the past last 2/3 years. This will help the proper development of Siddha System in the Council till the Council is reconstituted.

GENERAL

The Central Council considered the points of letter of the President, All India Ayurvedic Congress forwarded by the Ministry of Health & Family Welfare vide their letter No.V.26013/3/91-AE dated 19.4.91 regarding amendments in the election procedure of CCIM for the members elected under Section 3(1) (a) of the IMCC Act, 1970 and decided that the Govt.of India, Ministry of Health & Family Welfare may be requested that:-

(i) The States be requested that the voter lists be updated; and

(ii) The Ballot papers should be sent by registered post.

The Central Council discussed the recommendations of the workshops on problems and programmes of ISM & H organisation held on 20/21.11.90 and sincerely appreciated the efforts of Govt.of India and endorsed the recommendations. It was decided to take up the specific recommendations and incorporate at appropriate level.

The Central Council also urged upon the Government to con-

were not discussed previously.

The Central Council appreciated the efforts of the Govt.of India for sanctioning of non-recurring grant to 12 colleges of ISM for purchase of equipments and hospital purposes and felt that very limited colleges have been covered at the moment under this scheme. Hence, the Council recommended the Govt.of India to cover maximum number of colleges in phased manner. Preference should be given to those recognised colleges run by voluntary organisations aided by the Govt. and doing good work. It was also decided that in future the Central Council should also be consulted before sanctioning grants to colleges of ISM.

The Central Council decided to request the Government of India to include Ayurved, Siddha and Unani Systems also in Medical Education Commission going to be constituted by Central Government on the pattern of University Grants Commission.

The Central Council decided to request to all State Govts. to establish University of Indian Systems of Medicine in their States.

The Central Council noted that some State Governments have not yet sanctioned the pay scales of University Grants Commission to the teaching staff of all ISM colleges inspite of making repeated requests by the Central Council.

It was decided that a letter with full justifiction may be issued to the Ministry of Health & Family Welfare, Chief Minister as well as to the members of CCIM of those States, who have not implemented the UGC pay scale to the teachers of ISM colleges which are affiliated by the University and recognised by the Central Council of Indian Medicine.

The Central Council decided that the Govt.of those States which have not yet established the separate Directorate of Indian Systems of Medicine be requested to establish separate Directorate of Indian Systems of Medicine.

The Central Council noted the recommendations of the Zonal meetings of Southern and Western States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamilnadu and Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra & Rajasthan held at Bangalore and Bombay on 29th and 30th June, 1991 and 15th & 16th Nov., 1991 respectively.

It was noted that the Schedules of recognised medical qualifications of Indian Medicine of State Acts have not brought in conformity with the Schedules of the Central Act inspite of issue of neces-

sary instructions from the Govt.of India and by the Central Council.

The discrepancies in the State Acts felt by the CCIM were brought to the notice of Zonal meetings and these were discussed statewise.

ANDHRA PRADESH

It was brought to the notice of the meeting that the existing two Acts in Andhra Pradesh are being amalgamated and a fresh Bill will be enacted shortly in conformity with the provisions of the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The contradictions in the present provisions of providing registration on the basis of experience and also on passing the qualifying examinations for the practising practitioners will be deleted from the new Bill.

It was also decided to include the year in column 4 of remarks in the Second Schedule to the IMCC Act, 1970 against Vaidya Vidwan qualification awarded by Andhra Ayurved Parishad, Vijayawada.

KARNATAKA

It was resolved to delete the superfluous Clauses in Sections 2(k), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35 and 37 of Karnataka State Act. It was further resolved to make changes wherever necessary to bring the provisions of the State Act in conformity with the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

As regards the practitioners enlisted upto 1981 with the Karnataka State Board, it was decided not to take the examination for these enlisted practitioners which is permissible as per the provisions of the State Act and give them registration to practise in Karnataka State. The list of enlisted 902 practitioners (850 Ayurved and 52 Unani) be sent to the office of Central Council of Indian Medicine. The Karnataka Board was requested to make necessary provision for registration of qualified Siddha graduates who possess a recognised medical qualification included in the Second Schedule to the IMCC Act, 1970.

KERALA:

As regards the contradictions in various provisions of the State Act of Kerala, it was informed that necessary amendments are being carried out and the amended Bill is under process.

TAMILNADU:

The authorities representing the State agreed to amalgamate the existing Boards and fall in line with the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The new Bill is under process.

GUJARAT:

It was brought to the notice that there are some contradicitons in the provisions of Gujarat Medical Practitioners Act, 1963 which should be deleted and amended in conformity with the provisions of Indian Medicine Central Council Act, 1970. The Section 29(1, 2 and 3) of Gujarat Medical Practitioners Act, 1963 provides for recognition of qualifications and amendments of schedule. After enforcement of the provisions of I.M.C.C. Act, 1970, the medical qualifications included in the Second, Third and Fourth Schedules to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 are recognised medical qualifications for all purposes. As such Section 29 of the State Act be deleted.

The Section 2(o) of the State Act be amended in conformity with Section 2(h) of the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

The Section 17(2) of the State Act provides for registration of qualified as well as unqualified persons. The provision for registration of unqualified persons should be deleted from the State Act and the provision should be made in conformity with the provisions of the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

MADHYA PRADESH

After discussion on the Madhya Pradesh Ayurved, Unani and Naturopathy Practitioners Act, 1970, it was resolved that the superfluous clauses of Section 2, 25 and 37 of the State Act be deleted and amended in conformity with the provisons of the Indian Medicine Central Council Act, 1970. It was also resolved that the Schedules of recognised medical qualifications of the State Act should be brought at par with the Second, Third and Fourth Schedules of recognised Medical qualifications of Indian Medicine Central Council Act, 1970.

MAHARASHTRA

It was observed that the section 14, 26 to 29 and 31 of Maharashtra Medical Practitioners Act, 1961 is concerned with the education and

of Indian Medicine is the only competent authority to prescribe courses of study, recognition/withdrawal of recognition of medical qualifications of Indian Medicine and to conduct visitation/inspection of medical colleges/institutions all over the country.

The Section 17(2) (i,ii,iii) of Maharashtra Medical Practitioners Act, 1961 provides for categorization of registered medical practitioners. It was therefore, resolved that the section 14, 26 to 29 & 31 of the Maharashtra Medical Practitioners Act, 1961 be deleted. The necessary amendments be made in the State Act in conformity with the provisions of the Indian Medicine Central Council Act, 1970. It was also resolved that section 37 of the Maharashtra Act which provides liberty to practice in rural areas should also be deleted from the State Act because providing liberty to practice in rural areas without having a recognised medical qualification and registration is against the spirit of the Central Act.

It was decided to maintain separate State Registers for Ayurvedic & Unani Practitioners.

RAJASTHAN

It was resolved to delete the superfluous clauses of section 14, 39 and 47(1) and (3) from the State Act and the clauses of section 32, 36 and 38 be amended in conformity with the provisions of Indian Medicine Central Council Act, 1970. It was also resolved that the schedules of recognised medical qualifications of the State Act should be at par with the recognised medical qualifications included in the Second, Third or Fourth Schedules to the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

It was brought to the notice that after enforcement of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 w.e.f. 15.8.71 the medical qualifications granted by University, Board or other medical institutions in India included in the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 are recognised medical qualifications. The holders of any of these qualifications are eligible for the rights and privileges envisaged under the said Act. Any other qualification which is not included in the Second Schedule to Indian Medicine Central Council Act, 1970 is not recognised for any purpose. The persons who possess a recognised medical qualification included in the Schedules to the Indian medicine Central Council Act, 1970 are eligible to be registered/enrolled on any State Register of Indian Medicine for practice in Indian Medicine.

fied person who are not registered with the concerned State Council are doing unauthorised practice in Indian Medicine in various States/Union Territories. This problem has been arisen due to lack of proper checking by the State authorities. Moreover, this problem has been compounded in the absence of uniformity in recognised medical qualification by certain State Boards/Councils. It was noted that some self styled institutions are still awarding degrees as well as certificates of registration to practice in Indian Medicine.

The Zonal meetings urged upon the Central and State Governments to introduce Anti-quackery Bills with the provisions like declaring the offence as cognizable. It was also suggested that the Central Council of Indian Medicine should intensify its efforts to educate awaken and create public opinion through all the available media.

In order to check unauthorised practice in Indian Medicine by unregistered/unqualified persons the State Governments, State Boards/Councils have to take keen interest for the benefit of public in general and qualified practitioners of Indian Medicine in particular.

It was unanimously decided that a machinery to check the medical practice by unauthorised/unqualified person be created by the State Govts. and initiate action in consultation with the State Board of Indian Medicine.

It was observed that a large number of mushroom institutions attract the innocent public through their advertisements in Newspapers to obtain the Degree/Diploma/Certificate awarded by them by charging huge amount as fees in various State and Union Territories. The Central Council has repeatedly warned the general public through advertisement in Newspapers to be aware of such institutions. It was informed to the general public that only those colleges of Indian Medicine are genuine which are affiliated with the University of that area.

It was resolved unanimously that only the colleges recognised by Universities/State Government and the Central Council of Indian Medicine should be allowed to function. Other mushroom instituitons should be stopped. It was also decided that if the norms laid down by the Central Council for starting of a new college of Indian Medicine are strictly followed and observed by all the concerned authorities, there will be no growth of mushroom colleges of Indian Medicine.

Besides the State Govt. should also take immediate legal action against such organisation in their States. If this step is taken in time by the State authority, such organisations will be discouraged and mushrom growth of colleges of Indian Medicine will be checked and stopped.

The Zonal meetings reiterated the spirit of observance of the Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics as enunciated under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 and unanimously resolved that the State Boards/Councils should obtain signed declaration in Form A annexed to those Regulations prior to issue of certificate of registration to a registered medical practitioner and also work out modalities to obtain the same declaration signed from practitioners registered earlier.

It was further suggested that the instrucitons be issued by the Central Council of Indian Medicine to (a) all the recognised institutions of I.S.M. to give due importance to the teaching of medical ethics; (b) to all public institutions and medical practitioners of I.S.M. to display the declaration at prominent places (c) to State Council/Boards to take necessary steps for organising conference to promote the observance of medical ethics at all levels, (d) to give a copy of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics together with the certificate of registgration(e) to take necessary steps to ban advertisement in lay press by medical practitioners.

The Zonal meetings agreed to the policy of Central Council of Indian Medicine of implementing their programme concerned with enforcement of the minimum standards of education and unanimously resolved that the institutions not adhering to the prescribed norms be given notices under section 21 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 under the intimation to the Health Secretaries, Directors of I.S.M. and concerned Universities and further urged that in no case permission to start Post-graduate course in any subject be given unless and until the institution fulfills all the norms and criterion laid down by Central Council of Indian Medicine for Under-graduate course.

It was also decided that the minimum standards and requirements recommended by the Central Council be adopted and followed by all colleges imparting Under-graduate education of Indian Medicine so that the uniformity in educational standards can be maintained all over the country. The Directors of Indian Medicine in the States should ensure to make available sufficient funds to the colleges in their States to achieve the required standards. In order to assess actual requirements, the State Directors may arrange inspec-

tion of colleges periodically in addition to
the Central Council of Indian Medicine from time to time.

It was of the opinion that the Central and State Governments should take concurrence from Central Council of Indian Medicine before sanctioning the scheme of Post-graduate education in various colleges of Ayurved/Siddha/Unani.

The preparation and maintenance of the Central Register of Indian Medicine is one of the main functions of the Central Council. The Central Register of Indian Medicine upto 1986 pertaining to Assam, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Tamilnadu, West Bengal, Andhra Pradesh, Jammu & Kashmir, Orissa and Karnataka States has already been published in the Gazette of India. The Central Register pertaining to the State of Gujarat, Delhi, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Bihar has already been sent for publication in the Gazette of India.

The State Register in respect of Kerala & Uttar Pradesh State have not been received with complete information as per prescribed proforma. Therefore, the Central Register in respect of these two States could not be prepared so far. The State Register of Kerala State has been received in the month of March, 1992. The work of preparation of Central Register of Kerala will be completed upto July, 1992.

The State Register of Uttar Pradesh State has not been furnished as per prescribed proforma so far. Hence, it is not possible to prepare the Central Register of Uttar Pradesh.

The Central Council has already started the work relating to preparation of Central Register of Indian Medicine from January, 1987 to March, 1991.

The Central Govt. on the advice of the Central Council notified various medical qualifications of Indian Systems of Medicine in the Gazette of India for inclusion in the Second and Fourth Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970. During the year, following medical qualifications awarded by Universities/Institutions mentioned against each were included in the Second and Fourth Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970:

SECOND SCHEDULE

S.No.	Name of the awarding body	Qualification		Year
1.	Himachal Pradesh University, Shimla	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	BAMS	From 1986 to 1992

2.	Mangalore University, Mangalore	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	BAMS	From 1985 Onwards
3.	Utkal University, Bhubaneswar	Ayurvedavachaspati M.D. Ayurved (Kayachikitsa)		From 1981 to 1989
4.	Bharathiar University, Coimbatore	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	BAMS	From 1989 to 1993
5.	Shiksha Vibhagiya Parikshayen, Jaipur State/ Rajasthan Sarkar, Jaipur	Ayurved Shastri		From 1872 to 1968
		Ayurvedacharya		From 1874 to 1970
		Bhishagavar		From 1936 to 1968
		Bhishagacharya		From 1938 to 1970
FOURTH SCHEDULE				
1.	Institute of Indigenous Medicine University of Colombo, Srilanka	Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery	BAMS	From 1991 Onwards
		Bachelor of Unani Medicine & Surgery	BUMS	From 1991 Onwards
2.	University of Jaffna, Srilanka	Bachelor of Siddha Medicine & Surgery	BSMS	From 1989 Onwards

The Council maintains minimum standards of institutions/ colleges of I.S.M. by carrying out visitation through the visitors of the Council to assess the availability of minimum standards and requirements as laid down by the Central Council in relation to departments, teaching staff, Student bed ratio, Laboratory facilities, Building, Herb garden, Pharmacy and Hospital facilities etc.

ADMINISTRATION AND FINANCE

The Central Council finalised the draft regulations with regard to the Power and Duties of members of Central Council of Indian Medicine apart from the regulations already prescribed by the Central Council as under:-

1. Members can get necessary information personally from the office regarding working of the Council with prior appointment.

2. Members can get required information through a letter from the President, Vice-President, Chairman of Committee and Secretary of the Council.

3. Members will be informed of the action taken and being taken by the Council in the State of the members.

4. The members will be active to fulfil the aims & objects of the Central Council of Indian Medicine.

5. Agenda and Minutes of the meeting will be sent to the members in time.

6. Members will present themselves, participate and express their views in the meetings.

7. Members will co-operate with the Chairman in conducting the meeting.

8. Members will utilise the facilities provide to them from time to time.

9. Members can be invited as a special invitee in any meeting.

10. Members can mention their membership and post held in the Council on their letter pad/head.

11. Respective Members can visit any Ayurved/Siddha/Unani institution to know the activities of the institutions of their state under intimation to the office of Central Council of Indian Medicine and can send the comments to the Secretary of the Council, if they desire so.

12. Members can send their report regarding progress of ISM in their state to the Council.

13. Members can send their proposal and opinion regarding educational institutions and hospitals in their state to the office of the Council.

14. There should be provision in the State Acts to nominate the members of the Council in the State Boards etc. as a representative of the Council.

Ministry of Home Affairs, as under:-

First Prize	Rs.400/-
Second Prize	Rs.200/-
Third Prize	Rs.150/-

The Central Council approved the appointment of two Lower Division Clerk, one General and one Scheduled Caste and a Peon.

BUDGETARY RESOURCES

The Budget estimates and Revised estimates for the year 1991-92 were approved by the Council and released/sanctioned by the Government of India are as under:-

		Non-Plan	Plan
1.	Budget Estimates 1991-92 (Approved by the Council)	28.80 Lakh	10.30 Lakh
2.	Budget Estimates 1991-92 (Sanctioned by Ministry)	15.50 Lakh	7.50 Lakh
3.	Revised Estimates 1991-192 (Approved by the Council)	21.36 lakh	10.28 Lakh
4.	Revised Estimates 1991-92 (Released by the Ministry)	15.50 Lakh	8.25 Lakh

The Central Council is a small organisation. However, every care is taken to ensure that the reservations made by the Government of India for different categories are maintained. Out of 35 employees of the Central Council, the reservation made for different categories is as under:

Scheduled Caste	Four
Scheduled Tribe	Two
Physically Handicapped	Two
Ex-Servicemen	One

1. Introduction

The Central Council of Indian Medicine (Council) was established in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the objectives of prescribing minimum standards of education for courses in Indian system, maintenance of Central Register of Indian Medicine etc. and other matters connected therewith.

The Council is financed mainly by grants from Government of India. The Council received grants amounting to Rs.23.75 lakhs (Rs.15.50 lakhs under non-Plan and Rs.8.25 lakhs under Plan) during 1991-92. The accounts of the Council are audited under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

2. Annual Accounts

2.1 Revision of accounts

As a result of audit the following transactions were got rectified in the revised accounts to exhibit a true and fair state of affairs of the Council.

Income and Expenditure account for the year ending 31st March, 1992

As per pre-revised Accounts		As per revised Accounts	
Income			
Non-Plan	Plan	Non-Plan	Plan
--	--	9,228.00	19,960.00
Balance Sheet			
Assets			
Nil	19,960.00	9,228.00	19,960.00
Liabilities			
--	19,960.00	--	--
33,481.59	4,31,121.14	24,253.59	4,11,161.14

3. Pension-cum-Gratuity Scheme

Pension-cum-Gratuity Scheme including family pension scheme was introduced in the Council with effect from April, 1983. According to the terms and conditions of the scheme, the Pension Fund was to be created from the funds already available on account of employers contribution to Contributory Provident Fund together with interest that may accrue on investment of such funds and no additional grants for augmenting the Pension Fund were to be released by Central Government. The Council had, however, transferred Rs.3.19 lakhs as employer's contribution during 1983-84 to 1991-92, includ-

by the Ministry to regularise the transfer of funds. The irregular transfer of funds during 1983-84 to 1990-91 was also commented upon in Audit Reports for 1987-88, 1988-89, 1989-90 and 1990-91.

The Council stated, in December, 1992, that the Ministry had been requested in November, 1992 to approve the modalities and specific sanction to regularise the transferring of funds from 1983-84 to 1991-92 onwards, but the sanction of the Ministry was still awaited (January, 1993).

4. Non-Maintenance of Central Register of Indian Medicine

The Council was required to maintain a Central Register of Indian Medicine which should contain the names of all persons who were enrolled on any State Register of Indian Medicine and who possessed any of the recognised medical qualifications. Such a Register was deemed to be a public document within the meaning of the Indian Evidence Act, 1972 and may be proved by a copy published in the Gazette of India. As per the provisions of the Act, each State Board was to supply to the Central Council three printed copies of the State Register of Indian Medicine as soon as may be after the commencement of this Act in 1970 and subsequently after the first April each year. The State Council was also to inform the Central Council without delay of all additions to and other amendments in the State Register of Indian Medicine made from time to time.

It was observed that the Central Register of Indian Medicine had not been maintained by the Council since its constitution in 1971 even though it was one of the main objects of the Council. The Council stated, in July 1991, that the Ministry had sanctioned the necessary staff for the preparation of the Central Register only in 1986, the Council also stated, in December, 1992, that out of 18 States Central Register for 11 States had already been published in the Gazette of India and the Central Register for 7 States, Bihar, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh had already been sent to Department of Publication for Gazette Notification.

5. Outstanding Inspection Reports

At the close of audit for the year 1991-92 two Inspection Reports with four paras were outstanding as detailed below:

Sl.No.	Year of Inspection Report	Number of paras outstanding
1.	1989-90	2
2.	1990-91	2
		4

Sd/-
Director General of Audit,
Central Revenues

Place: New Delhi
Date:

and Expenditure Account for the year ... the Balance Sheet as on 31st march, 1992 of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Central Council of Indian Medicine according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Sd/-
Director General of Audit,
Central Revenues.

Place: New Delhi
Date:

CENTRAL REVENUES
NEW DELHI-110 002

CONFIDENTIAL

No.OAD IV/SAR/CCIM/92-93/451 Dated: 30.3.93

To

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Health and Family Welfare,
Nirman Bhawan,
New Delhi

Sub: Audit Report on the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1991-92

Sir,

I am to enclose a copy of the certified annual accounts of the Central Council of Indian Medicine New Delhi for the year 1991-92 together with the Audit Report thereon and Audit Certificate for being laid on the Table of Parliament.

Two copies of the documents as presented to the Parliament may please be furnished to this office and also to the office of the Comptroller and Auditor General of India indicating the date on which these were presented to Parliament.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,
Sd/-
DEPUTY DIRECTOR OF AUDIT
(INSPECTION-I)

Encl: As above

No.OAD II/SAR/CCIM/92-93/451 DATED: 30.3.93

Copy together with a copy of the certified annual accounts, the Audit Report thereon and the Audit Certificate forwarded to the Secretary, Central Council of Indian Medicine, 1E/6, Swami Ramtirth Nagar, Jhandewalan Extension, New Delhi-110 055 for necessary action with reference to their letter No.10-13/91-Accts. dated 15.3.93. The date on which the certified

intimated to this office alongwith supporting documents. Five copies of the Hindi version of the Certified annual accounts may also be supplied to this office at the earliest.

Sd/-
Deputy Director of Audit
(Inspection II)

Encl: As above

No.OA II/SAR/CCIM/92-93/UJ/ Dated; 30.3.93

Copy together with a copy of the certified annual accounts, the Audit Report thereon and the Audit Certificate forwarded to Shri Saroop Singh, Administrative Offficer, (Rep.AB), Office of the Comptroller and Auditor General of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi with Auditor General of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi with reference to Headquarter's Offiice letter No.30 Report (Health Deptt.) /32-93 dated 2.3.93.

A statement incorporating replies to Headquarter's comments/observations is also enclosed.

This issues with the approval of DACR I

Sd/-
DEPUTY DIRECTOR OF AUDIT
(INSPECTION II)

Encl: As above.

CENTRAL COUNCIL OF

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT

Receipts	NON-PLAN Amount	NON-PLAN Amount	PLAN Amount	PLAN Amount
Opening Balance as on 1.4.1991				
Cash in Hand	10,564.85		—	
Cash at Bank	1,23,237.67		81,421.39	
Stamps in Hand	17.10		—	
Stamps in Franking Machine	1,056.51	1,34,876.13	—	81,421.39
Grant-in-aid received from Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi during 1991-92		15,50,000.00		8,25,000.00
INCOME OTHER THAN GRANT-IN-AID				
Sale of Unserviceable articles	8,120.00			
Sale of Raddi	146.00			
Misc. receipts from employees	440.00			
Application Fees	236.00			
Interest of G.P.F.	47,499.29			
Interest from Employees	1,657.20			
C.G.H.S. Facilities	537.00	58,635.49		—
RECOVERY OF ADVANCE				
Central Govt. Health Scheme	367.00		—	
Festival Advance	9,680.00		—	
Scooter Advance	9,100.00		4,800.00	
L.T.C. Advance	2,430.00		—	
Car Advance	—		15,000.00	
House Building Advance	—	21,577.00	15,600.00	35,400.00
MISCELLANEOUS REMITTANCES				
General Provident Fund	2,13,294.00			
Income Tax	7,995.00			
Group Insurance Scheme	13,169.65	2,34,458.65		

INDIAN MEDICINE

FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1992

Payment	NON-PLAN Amount	NON-PLAN Amount	PLAN Amount	PLAN Amount
1. PAY AND ALLOWANCE				
Pay of Officers	50,125.00			
Pay of Establishment	5,12,729.00			
Non-Practising Allowance	46,296.00			
Post-graduate Allowance	5,489.00			
Dearness Allowance	3,23,855.00			
House Rent Allowance	1,29,603.00			
City Comp. Allowance	20,819.00			
Washing Allowance	1,335.00			
Conveyance Allowance	1,481.00			
Extra Duty Allowance	4,426.80			
Tuition Reimbursement	480.00			
Medical Reimbursement	4,201.09			
C.G.H.S. Facilities	13,481.00			
Leave Travel Concession	14,058.20			
Bonus	38,489.00			
Remuneration PA to President	6,000.00	11,72,868.09	—	—
2. CONTINGENCIES				
(a) Recurring Expenditure				
Stationery	2,138.25		26,571.51	
Postage & Telegram	11,255.02		—	
Electric charges	15,905.50		—	
Water Charges	82.00		—	
Building Rent	56,400.00			
Telephone	56,034.00		8,694.00	
Legal Expenses	—		10,617.80	
Newspaper & Periodical	3,974.22		—	
Books				
Audit Fee	11,295.00		—	
Mainten. of office Equp.	16,156.50		--	
Conveyance Expenses	5,553.25		—	
Sundaries Expenses	15,221.90		51,855.25	
Liveries Expenses	11,684.70		—	

Printing Expense	—		12,395.00	
Advertisement	—		6,121.80	
Publication	—		2,46,171.00	
(b) Non-Recurring Expenditure		2,05,700.34		3,62,426.36
Books for library	1,294.90	—		
Furniture & Fixutre	369.15	1,664.05	7,106.28	7,106.28
3. Travel Expenses				
President/Vice President	—	57,630.00		
Secretary/Establishment	48,745.60	—		
Members of Council	—	1,45,919.50		
Members of Executive Committee	—	77,055.00		
Members of Edu. Committee (Ay)	17,159.00	—		
Members of Edu. Committee (Unani)	11,218.00	—		
Members of Regulation Committee	—	29,127.50		
Members of Sub Committee	58,625.00	—		
Members of Visiting Committee	—	63,320.50		
Zonal Meeting	—	1,35,747.60	62,656.00	4,35,708.50
4. Payment of Advance				
Festival Advance	9,800.00			
Scooter Advance	13,000.00	22,800.00	—	—
5. Miscellaneous Remittances				
General Provident Fund	2,13,294.00			
Income Tax	7,995.00			
Group Insurance Scheme	13,169.65	2,34,458.65		—
6. Contribution towards				
Pension		57,165.00		—
7. Interest to General				
Provident Fund		68,972.00		—
8. Closing Balance as on 31.3.92				
Cash in hand	8,780.75		—	
Cash at bank	90,222.70		1,36,580.25	
Stamps in hand	64.10		—	
Stamps in Franking machine	1,103.99	1,00,171.54	—	1,36,580.25
TOTAL		19,99,547.27		9,41,821.39

TOTAL	19,99,547.27	9,41,821.39

CENTRAL COUNCIL OF

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

EXPENDITURE	NON-PLAN AMOUNT	NON-PLAN AMOUNT	PLAN AMOUNT	PLAN AMOUNT
1. PAY & ALLOWANCES				
Pay of officers	50,125.00		—	
Pay of Establishment	5,12,729.00		—	
Non-Practising Allowance	46,296.00		—	
Post Graduate Allowance	5,489.00			
Dearness Allowance	3,23,855.00		—	
House Rent Allowance	1,29,603.00		—	
City Compensatory Allowance	20,819.00		—	
Washing Allowance	1,335.00		—	
Conveyance Allowance	1,481.00		—	
Overtime Allowance	4,426.80			
Tution Reimbursement	480.00		—	
Medical Reimbursement	4,201.09		—	
Central Govt.Health Scheme	13,481.00		—	
Leave Travel Concession	14,058.20		—	
Bonus	38,489.00		—	
Remuneration P.A to President	6,000.00	11,72,868.09	—	
CONTINGENCIES				
Stationery	2,138.25		26,571.51	
Postage & Telegrams	11,255.02		—	
Electric Charges	15,905.50		—	
Water Charges	82.00		—	
Building Rent	56,400.00		—	
Telephone	56,034.00		8,694.00	
Legal Expenses	—		10,617.80	
Newspaper & Periodical				

INDIAN MEDICINE

FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1992

INCOME	NON-PLAN AMOUNT	NON-PLAN AMOUNT	PLAN AMOUNT	PLAN AMOUNT
Grant-in-aid received from Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi during the year 1991-92	15,50,000.00		8,25,000.00	
Less-Grant-Capitalise	1,664.05	15,48,335.95	7,106.28	8,17,893.72
Miscellaneous Receipts				
Sale of Unserviceable Articles	8,120.00			
Sale of Raddi	146.00			
Recovery from Employees	440.00			
Application Fees	236.00			
C.G.H.S. Facilities	537.00			
Interest of G.P. Fund	47,499.29			
Interest from Employees	1,657.20	58,635.49		
Recoverable Telephone				19,960.00
Security		9,228.00		
Excess of Expenditure **Over Income**		24,253.59		4,11,161.14

Books	3,974.22		—	
Audit Fee	11,295.00		—	
Maintenance of office				
Equipments	16,156.50		—	
Conveyance Expenses	5,553.25		—	
Sundaries Expenses	15,221.90		51,855.25	
Liveries Expenses	11,684.70		—	
Printing Expenses	—		12,395.00	
Advertisement	—		6,121.80	
Publication	—	2,05,700.34	6,97,051.00	8,13,306.36
TRAVEL EXPENSES				
President/Vice President	—		57,630.00	
Secretary/Establishment	48,745.60		—	
Members of Council	—		1,45,919.50	
Members of Exec. Committee	—		77,055.00	
Members of Edu				
Committee (Ay)	17,159.00		—	
Members of Edu				
Committee (Unani)	11,218.00		—	
Members of Regulation				
Committee	—		29,127.50	
Members of Sub-				
Committee	58,625.00		—	
Members of Visiting				
Committee	—		63,320.50	
Zonal Meeting	—	1,35,747.60	62,656.00	4,35,708.50
Contribution towards				
Pension Fund		57,165.00		—
Interest to General				
Provident Fund		68,972.00		—
TOTAL		16,40,453.03		12,49,014.86

CENTRAL COUNCIL OF
BALANCE SHEET AS

Liabilities	NON-PLAN Amount	NON-PLAN Amount	PLAN Amount	PLAN Amount
GENERAL RESERVE				
Assets acquired the day of Estt.		20,080.15		—
ASSETS ACQUIRED OUT OF GOVT. GRANTS				
As per last balance sheet	2,39,078.03		5,53,800.04	
Add-Grant Capitalised	1,664.05		7,106.28	
	2,40,742.08		5,60,906.32	
Less-Redeemed during the year	40,863.33	1,99,878.75	--	5,60,906.32
Sub-Total		2,19,958.90		5,60906.32
Excess of Income Over-Expnd.				
As per last balance sheet	1,66,673.13		1,83,321.39	
Less Excess of Expnd. over income	24,253.59	1,42,419.54	4,11,161.14	2,27,839.75

INDIAN MEDICINE
ON 31ST MARCH, 1992

Assets	NON-PLAN Amount	NON-PLAN Amount	PLAN Amount	PLAN Amount
NON RECURRING NATURE				
(1) Furniture & Fixture				
As per last balance sheet	76,564.68		35,581.48	
Addition during the year	369.15		7,106.28	
	76,933.83		42,687.76	
Redemption during the year	3,392.18	73,541.65	--	42,687.76
(2) Books for library				
As per last balance sheet	28,380.01		—	
Addition during the year	1,294.90	29,674.91	—	—
(3) Air Cooling Appliances				
As per last balance sheet	38,537.53		26,789.80	
Addition during the year	—		—	
	38,537.53		26,789.80	
Redemption during the year	16,196.80	22,340.73	—	26,789.80
(4) Office Equipments				
As per last balance sheet	1,15,675.96		4,91,428.76	
Addition during the year	—		—	
	1,15,675.96		4,91,428.76	
Redemption during the year	21,274.35	94,401.61	—	4,91,428.76
Sub-Total		2,19,958.90		5,60,906.32
Recurring Nature				
Telephone		9,228.00		19,960.00
LOAN & ADVANCE				
(1) Festival Advance				
As per last balance sheet	6,760.00			
Addition during the year	9,800.00			
	16,560.00			
Recoveries during the year	9,680.00	6,880.00		
Scooter Advance				
As per last balance sheet	22,240.00		10,000.00	
Addition during the year	13,000.00		—	

Publication	—	4,50,880.00
General Provident Fund	7,77,895.00	--
Pension Fund	5,68,879.02	--
TOTAL	17,09,152.46	7,83,946.57

	35,240.00		10,000.00	
Less Recoves.during the year	9,100.00	26,140.00	4,800.00	5,200.00
		2,62,206.90		5,86,066.32
(3) CAR ADVANCE				
As per last Balance Sheet	—		15,000.00	
Recoveries during the year	—		15,000.00	Nil
(4) House building Advance				
As per last Balance Sheet	—		76,900.00	
Recoveries during the year	—		15,600.00	61,300.00
(5) C.G.H.S. Advance				
As per Last Balance Sheet	367.00			
Redeemed during the year	367.00	Nil		
(6) L.T.C. Advance				
As per last Balance Sheet	2,430.00			
Recoveries during the year	2,430.00	Nil		
Closing Balance as on 31.3.92				
Cash in hand	8,780.75			
Cash at Bank	90,222.70		1,36,580.25	
Stamps in hand	64.10		—	
Stamps in Franking Machine	1,103.99	1,00,171.54	—	1,36,580.25
General Provident Fund		7,77,895.00		—
Pension Fund		5,68,879.02		—
TOTAL		17,09,152.46		7,83,946.57

CENTRAL COUNCIL OF

GENERAL PROVIDENT
RECIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR

RECEIPTS	AMOUNT	AMOUNT
Opening Balance as on 1.4.1991		
in Saving Bank A/c with Bank of India	—	3,762.00
Additional Subscription by Employees	85,561.00	
Subscription by Employees	48,918.00	1,34,479.00
Recovery of Loan from Employees		78,815.00
Interrest earned from Bank on SB		
A/c, Monthly Income Certificate		
and Special Deposit Scheme		47,499.29
Amount received from Council for		68,972.00
Interest 1991-92		
Monthly Income Certificate matured		40,000.00
Total		3,73,527.29

INDIAN MEDICINE

FUND
THE ENDED YEAR 31ST, MARCH 1992

PAYMENTS	AMOUNT	AMOUNT
Loan Granted to Employees		78,575.00
Final Withdrawal to employees	44,209.00	
Subscription	1,649.00	45,858.00
Interest		47,499.29
Interest transferred to Council		
Investment in Monthly		1,75,000.00
Certificates		
Closing Balance as on 31.3.92		26,595.00
in SB A/C with Bank of India		
Total		3,73,527.29

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
GENERAL PROVIDENT FUND
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 1992

1990-91	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT
4,82,959.00	As per Balance sheet	6,20,302.00	
1,39,330.00	Addition during the year	1,34,479.00	
6,22,289.00		7,54,781.00	
55,000.00	Less final withdrawal	45,858.00	
5,67,289.00		7,08,923.00	
53,013.00	Add Interest	68,972.00	7,77,895.00
6,20,302.00			
6,20,302.00	Total		7,77,895.00

1990-91	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	(a) Special Deposit Scheme		1,70,500.00
1,70,300.00	As per Last Balance Sheet		
	(b) National Saving Certificate		75,000.00
75,000.00	As per Last Balance Sheet		
75,000.00			
	(c) Monthly Income Certificate	2,75,000.00	
1,50,000.00	As per Last Balance Sheet	1,75,000.00	
1,75,000.00	Addition during the year	4,50,000.00	
3,25,000.00		40,000.00	4,10,000.00
50,000.00	Less Redeemed		
2,75,000.00			
	Loan to Employee's	96,040.00	
67,710.00	As per Last Balance Sheet	78,573.00	
1,18,100.00	Addition during the year	1,74,613.00	
1,85,810.00		78,813.00	95,800.00
89,770.00	Less Recoveries during year		
96,040.00			
	Closing Balance as on 31.3.92		26,595.00
3,762.00	in SB A/c with Bank of India		
3,762.00			
6,20,302.00	Total		7,77,895.00

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
PENSION-CUM-GRATUITY FUND
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1992

RECEIPTS	AMOUNT
Opening Balance as on 1.4.1991 in Saving Bank A/c with Bank of India.	5,404.87
Contribution	57,165.00
Interest earned from Bank and Post-office on Saving bank A/c	
Monthly Income Certificate & National Saving Certificates	80,309.15
Monthly Income Certificate matured	1,79,000.00
National Saving Certificate matured	55,000.00
TOTAL	3,76,879.02

PAYMENTS	AMOUNT
Investment in Monthly Income Certificate	3,15,000.00
Closing Balance as on 31.3.1992 in Saving Bank A/c with Bank of India	61,879.02
TOTAL	3,76,879.02

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

PENSION-CUM-GRATUITY FUND
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 1992

1990-91	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT
3,48,145.78	As per last Balance Sheet	4,31,4[illegible].87	--
	Addition during the year		
56,622.00	Contribution	57,165.00	
26,637.09	Interest	80,309.15	5,68,879.02
4,31,404.87			
4,31,404.87	TOTAL		5,68,879.02

1990-91	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
5,404.87	In Saving Bank A/c with		61
	Bank of India		
5,404.87	**Investment**		
	National Saving Certificate		
1,20,000.00	As per last Balance Sheet	1 [illegible]0.00	
—	Less Redeemed during the year	[illegible]00.00	6
1,20,000.00			
	Monthly Income Certificate		
2,14,000.00	As per Last balance Sheet	3,06,000.00	
35,000.00	Less Redeemed during year	1,79,000.00	
1,79,000.00		1,27,000.00	
1,27,000.00	Addition during the year	3,15,000.00	4,
3,06,000.00			
4,31,404.87	TOTAL		5,